



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276699
CG-DL-E-01102026-276699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]
No. 280]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी (ओआई) – 41/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टूल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/46/2025-डीजीटीआर.— समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए, समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके बाद "एडी नियमावली" अथवा "नियमावली" के रूप में भी संदर्भित) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद “प्राधिकारी” के रूप में संदर्भित) को इंड-स्फिक्स प्रिंसीजन लिमिटेड (इसके बाद “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” के रूप में संदर्भित) द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (इसके बाद “संबद्ध देश” के रूप में संदर्भित, तथा संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात को “संबद्ध आयात” के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टूल्स (इसके बाद “विचाराधीन उत्पाद”, “पीयूसी”, “पीसीवी टूल्स” अथवा “संबद्ध वस्तुएँ” के रूप में संदर्भित) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया था।
2. प्राधिकारी ने आवेदन की जांच की और पाया कि संबद्ध देश से निर्यात पाटित कीमतों पर किए जा रहे थे तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी, जिसके प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध थे। तदनुसार, नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसरण में, अधिसूचना फा. सं. 6/46/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 सितंबर 2025 के माध्यम से प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने तथा पाटन रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू की, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

ख. प्रक्रिया

3. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
जांच की शुरुआत
4. नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी ने भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार को वर्तमान पाटन रोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन की जांच करने पर प्राधिकारी ने पाटन और परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए। अतः नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/46/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 सितंबर 2025 (“जांच शुरुआत अधिसूचना”) के माध्यम से प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही शुरू की।
जांच अवधि और क्षति अवधि
6. जैसा कि जांच शुरू करने की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तथा जांच अवधि शामिल है।
आयात आंकड़े
7. प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और आवश्यक विश्लेषण के लिए, लेन-देन की समुचित जांच और पृथक्करण के बाद, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद किसी पृथक समर्पित टैरिफ मद के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है।
आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिचालन
8. एडी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से उपलब्ध कराई। आवेदन का अगोपनीय संस्करण दिनांक 7 अक्टूबर 2025 के ई-मेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया।
संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भागीदारी
9. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।
10. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से प्रश्नावलियां भेजीं। संबद्ध देश की सरकार से जांच शुरू करने की अधिसूचना और प्रश्नावलियां चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को अग्रेषित करने तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध

किया गया। निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने इन कार्यवाहियों में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक	जांच अवधि में भारत को निर्यात की मात्रा (मात्रा)
1.	केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***

आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा भागीदारी

11. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को आयातक और उपयोगकर्ता प्रश्नावली भेजी। निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने वर्तमान कार्यवाहियों में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है:

क्र. सं.	आयातक/उपयोगकर्ता	दायर उत्तर
1.	एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर
2.	सेन्सेशन सिस्टम्स	कोई नहीं

पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

12. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची 20 नवंबर 2025 को प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाहियों में उनके सभी अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया।

आर्थिक हित प्रश्नावली

13. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/उपयोगकर्ताओं, घरेलू उद्योग तथा भारत के अन्य ज्ञात उत्पादकों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर घरेलू उद्योग, केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड तथा एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किए गए हैं।

मौखिक सुनवाई

14. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को 5 अगस्त 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से 10 अगस्त 2026 तक लिखित अनुरोध और उसके बाद 15 अगस्त 2026 तक प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया। घरेलू उद्योग केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड तथा एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिखित अनुरोध, दायर किए गए हैं।

आगे की प्रक्रिया

15. जांच शुरू करने की अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र ("उत्पाद कार्यक्षेत्र") और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दायर करने का निर्देश दिया गया था; उक्त अवधि 22 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई। आवेदक ने 28 अक्टूबर 2025 के अपने अनुरोध के माध्यम से टिप्पणियां दायर कीं। दायर अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने 3 नवंबर 2025 की सूचना के माध्यम से संशोधित उत्पाद कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की। केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने 6 नवंबर 2025 के अनुरोध के माध्यम से संशोधित पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दायर कीं। उन टिप्पणियों तथा उन पर घरेलू उद्योग की सहमति पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने 1 दिसंबर 2025 की सूचना के माध्यम से अंतिम उत्पाद कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की, जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया।

16. प्राधिकारी ने सहयोगी पक्षकारों से पूरक सूचना मांगी। केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने 10 अप्रैल 2026 के अपने उत्तर के माध्यम से अपने बिक्री चैनलों, स्वयं निर्मित वस्तुओं के निर्यात तथा अपनी निवल निर्यात कीमत और पहुँच कीमत की गणना से संबंधित अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराई।
17. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाहियों के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण के लिए हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
18. प्राधिकारी ने यह पता लगाने के लिए विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की गणना की कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए, भारत में घरेलू समान वस्तु की उत्पादन की इष्टतम लागत तथा उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है।
19. प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों को तैयार करते समय कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों की, जहां तक वे साक्ष्य से समर्थित थे और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने गए, जांच की है।
20. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाहियों के दौरान सूचना तक पहुँच देने से इनकार किया है या अन्यथा आवश्यक सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
21. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
22. प्राधिकारी ने जांच के दौरान, जहां तक संभव था, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई उस सूचना की सटीकता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो वर्तमान अंतिम जांच परिणामों का आधार है, तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का, जहां तक प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक समझा गया, सत्यापन किया है।
23. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक 17.09.2026 को प्रकटन विवरण जारी किया गया, जिसमें वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर इन अंतिम निष्कर्षों में उस सीमा तक विचार किया गया है, जिस सीमा तक वे संगत और अपुनरावृत्त पाई गईं।
24. इन अंतिम जांच परिणामों में “****” किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
25. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.43 है, जो आयतित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जांच अवधि के दौरान प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। यही दर संपूर्ण अंतिम जांच परिणामों में लागू की गई है।

स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र, समान वस्तु और पीसीएन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एटी एंड एस") और केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ("केमर") ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि आवेदक पीयूसी के बाहर के पीसीबी टूल्स का भी उत्पादन करता है, इसलिए उन्होंने प्राधिकारी से यह सत्यापित करने का अनुरोध किया कि पीयूसी से संबंधित उत्पादन, बिक्री, लागत और लाभप्रदता को गैर-पीयूसी उत्पादों से संबंधित उत्पादन, बिक्री, लागत और लाभप्रदता से उचित रूप से पृथक किया गया है।
 - तदनुसार यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकारी यह सत्यापित करें कि क्या आवेदक ने पीयूसी-विशिष्ट उत्पादन, बिक्री और अन्य सूचना को सही रूप से पृथक किया है तथा पीयूसी और गैर-पीयूसी के बीच लागत और लाभप्रदता का उचित आबंटन किया है।
 - केमर ने पूर्ववर्ती 0.20–1.74 मि.मी. फ्लूट-व्यास बैंड पर आपत्ति की और कहा कि इसमें 0.50 मि.मी. तक के माइक्रो-ड्रिल तथा 0.50 मि.मी. से अधिक के मानक ड्रिल को एक साथ रखा गया था। केमर के अनुसार, इन उत्पादों में विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल के उपयोग, लागत और बिक्री कीमत में अंतर है। अतः इन्हें एक ही पीसीएन के अंतर्गत रखने से पाटन और क्षति मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं। केमर ने अपने दावे के समर्थन में नमूना बीजक प्रस्तुत किए और पीसीबी ड्रिल के लिए नौ-बैंड संरचना प्रस्तावित की।
 - किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने 1 दिसंबर 2025 को अधिसूचित अंतिम कार्यक्षेत्र से पीसीबी ड्रिल, पीसीबी राउटर अथवा किसी पीसीएन को बाहर रखने का अनुरोध नहीं किया। एटी एंड एस ने यह भी स्वीकार किया कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है। तथापि, एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया कि उसके एचडीआई पीसीबी उत्पादन के लिए अत्यंत कड़े तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने वाले टूल्स की आवश्यकता होती है, विशेषकर अत्यंत छोटे माइक्रोविया वाले अनुप्रयोगों के लिए, और दावा किया कि घरेलू उद्योग इन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले टूल्स की आपूर्ति करने में असमर्थ है।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- विचाराधीन उत्पाद में 3.175 मि.मी. के मानकीकृत शैंक व्यास वाले पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर शामिल हैं। पीसीबी ड्रिल ऐसे परिशुद्ध टूल्स हैं जिन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की अनेक परतों में यांत्रिक और विद्युत अंतर-संबंध सक्षम करने हेतु छिद्र बनाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है और इनके व्यास का आकार सामान्यतः 0.20 मि.मी. से 7.50 मि.मी. तक होता है। पीसीबी राउटर ऐसे परिशुद्ध टूल्स हैं जिनका उपयोग थ्रू-होल बनाए बिना स्लॉट काटकर अथवा बोर्ड की बाहरी रूपरेखा निर्धारित करके सबस्ट्रेट को आकार देने के लिए किया जाता है और इनके बिट व्यास सामान्यतः 0.50 मि.मी. से 3.175 मि.मी. तक होते हैं।
 - किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच शुरू करने की अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए पीयूसी का कार्यक्षेत्र निर्विवाद और अंतिम है।
 - पीसीएन पद्धति के संबंध में आवेदक ने 28 अक्टूबर 2025 के अपने अनुरोध के माध्यम से संशोधित पद्धति दायर की। प्राधिकारी ने 3 नवंबर 2025 को पद्धति संशोधित की और केमर की टिप्पणियों तथा आवेदक की सहमति पर विचार करने के बाद 1 दिसंबर 2025 को पद्धति को अंतिम रूप दिया। अतः पद्धति अंतिम हो चुकी है और इस संबंध में आवेदक की कोई और टिप्पणी नहीं है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं; वे तकनीकी और

वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं; और उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर विनिमय रूप से उपयोग किया है और कर रहे हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. जांच शुरू करने के चरण में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:
“वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद ‘प्रिंटेड सर्किट बोर्ड’ (‘पीसीबी’) टूल्स’ अर्थात् पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर है। पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर को क्रमशः पीसीबी ड्रिल बिट्स और पीसीबी राउटर बिट्स के नाम से भी जाना जाता है। पीयूसी 3.175 मि.मी. के मानकीकृत आकार के शैंक व्यास वाले पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर तक सीमित है। ‘शैंक व्यास’ से आशय टूल के बेलनाकार भाग की मोटाई से है। टूल के शैंक भाग को मशीनिंग उपकरण में क्लैम्प किया जाता है, जिससे पीसीबी विनिर्माण उपकरण में प्रयुक्त मानक कोलेट और स्पिडल के साथ संगतता सुनिश्चित होती है।”
29. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 82, जिसका शीर्षक “आधार धातु के औजार, उपकरण, कटलरी, चम्मच और कांटे; उनके आधार धातु के भाग” है, के अंतर्गत टैरिफ मदों 82075000, 82077090 और 82079090 में वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
30. जांच शुरू करने की अधिसूचना में सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्पाद कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच के किसी भी चरण में किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस प्रकार परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से किसी वस्तु को बाहर रखने अथवा उसमें कोई संशोधन करने का अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की अधिसूचना में अधिसूचित पीयूसी के उसी कार्यक्षेत्र को बिना किसी परिवर्तन के अपनाया है।
31. पीसीएन पद्धति के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पद्धति को क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया, जिसमें प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को प्रभावी रूप से सुने जाने का अवसर मिला। जांच शुरू करने के चरण में अधिसूचित पद्धति में केवल एक मानदंड, अर्थात् पीसीबी टूल का प्रकार, शामिल था। सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं और केवल आवेदक से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। फ्लूट व्यास की सीमाएं और लेपन स्थिति जोड़ते हुए संशोधित पद्धति 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित की गई। इसके बाद केमर ने 0.20 मि.मी. से 1.74 मि.मी. बैंड को विभाजित करने का अनुरोध किया; घरेलू उद्योग ने सहमति दी; और प्राधिकारी ने अनुरोध को पूर्णतः स्वीकार करते हुए 1 दिसंबर 2025 को अंतिम पद्धति अधिसूचित की। अंतिम पीसीएन पद्धति में तीन मानदंड हैं, अर्थात् पीसीबी टूल का प्रकार, फ्लूट व्यास की सीमा और लेपन स्थिति, जो निम्नानुसार हैं:

मानदंड-1	मानदंड-2		मानदंड-3	पीसीएन कोड	
पीसीबी ड्रिल	फ्लूट व्यास (मि.मी.)	पीसीएन कोड	लेपित/अलेपित	यदि लेपित	यदि अलेपित
पीसीबीडी	< 0.20	क	सीसी/यूसी	पीसीडीएसीसी	पीसीडीएयूसी
पीसीबीडी	0.20 से 0.50	ख	सीसी/यूसी	पीसीडीबीसीसी	पीसीडीबीयूसी
पीसीबीडी	0.51 से 1.74	ग	सीसी/यूसी	पीसीडीसीसीसी	पीसीडीसीयूसी
पीसीबीडी	1.75 से 3.54	घ	सीसी/यूसी	पीसीडीडीसीसी	पीसीडीडीयूसी
पीसीबीडी	3.55 से 4.54	ड.	सीसी/यूसी	पीसीडीईसीसी	पीसीडीईयूसी
पीसीबीडी	4.55 से 5.54	च	सीसी/यूसी	पीसीडीएफसीसी	पीसीडीएफयूसी
पीसीबीडी	5.55 से 6.54	छ	सीसी/यूसी	पीसीडीजीसीसी	पीसीडीजीयूसी
पीसीबीडी	6.55 से 7.00	ज	सीसी/यूसी	पीसीडीएचसीसी	पीसीडीएचयूसी
पीसीबीडी	> 7.00	झ	सीसी/यूसी	पीसीडीआईसीसी	पीसीडीआईयूसी

उदाहरणार्थ, 1.80 मि.मी. फ्लूट व्यास वाले लेपित पीसीबी ड्रिल का पीसीएन “पीसीडीडीसीसी” है।

मानदंड-1	मानदंड-2		मानदंड-3	पीसीएन कोड	
पीसीबी राउटर	फ्लूट व्यास (मि.मी.)	पीसीएन कोड	लेपित/अलेपित	यदि लेपित	यदि अलेपित
पीसीबीआर	< 0.80	ए	सीसी/यूसी	पीसीबीआरएसीसी	पीसीबीआरएयूसी
पीसीबीआर	0.800 से 3.175	बी	सीसी/यूसी	पीसीबीआरबीसीसी	पीसीबीआरबीयूसी
पीसीबीआर	> 3.175	सी	सीसी/यूसी	पीसीबीआरसीसीसी	पीसीबीआरसीयूसी

उदाहरणार्थ, 1.90 मि.मी. फ्लूट व्यास वाले लेपित पीसीबी राउटर का पीसीएन "पीसीबीआरसीसी" है। ड्रिल कोड में "पीसीडी" स्ट्रिंग पीसीबी ड्रिल को दर्शाती है, जिसे मानदंड-1 वाले कॉलम में "पीसीबीडी" के रूप में दिखाया गया है।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 2(घ) में "समान वस्तु" को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत में पाटन हेतु जांचाधीन वस्तु के सभी पहलुओं में समान अथवा एक जैसी हो, अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु, जो सभी पहलुओं में एक जैसी न होते हुए भी जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं रखती हो।
33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता कि आयातित पीसीबी टूल्स लेपित हैं अथवा अलेपित। अतः आयात विश्लेषण के लिए सभी आयातित टूल्स को अलेपित माना गया है। यह एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है क्योंकि लेपित टूल्स की लागत अधिक होती है और उनकी क्षति रहित कीमत भी अधिक होती है। इसलिए सभी आयातों को अलेपित मानने से क्षति मार्जिन को अधिक दर्शाए जाने से बचा जाता है।
34. प्राधिकारी सहमत हैं कि क्षति का आकलन केवल विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तदनुसार, उत्पादन, बिक्री, लागत और वित्तीय आंकड़ों की पीयूसी-विशिष्ट आधार पर जांच की गई है और क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए केवल पीयूसी से संबंधित लागतों पर विचार किया गया है।
35. समान वस्तु के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का यह दावा कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विवादित नहीं किया गया है; तथा प्रमुख उपयोगकर्ता और आयातक एटी एंड एस ने स्वयं घरेलू उत्पाद को समान वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि एटी एंड एस ने उच्च-स्तरीय और एचडीआई अनुप्रयोगों के लिए कुछ तकनीकी आवश्यकताओं के संबंध में चिंताएं उठाई हैं, तथापि अभिलेख पर कोई विशिष्ट पीसीएन अथवा उत्पाद विनिर्देश ऐसा स्थापित नहीं किया गया है जो घरेलू उद्योग से उपलब्ध न हो। दोनों आवश्यक उत्पाद विशेषताओं, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. किसी हितबद्ध पक्षकार ने इंड-स्फिक्स प्रिंसीजन लिमिटेड को घरेलू उद्योग माने जाने की पात्रता अथवा आवेदन की स्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य-समर्थित आपत्ति नहीं उठाई है। इस संबंध में एटी एंड एस और केमर ने केवल यह अनुरोध किया है कि क्षति निर्धारण के लिए जिन उत्पादन और वित्तीय आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, उन्हें विचाराधीन उत्पाद तक सीमित रखा जाए; इस मुद्दे को ऊपर संबंधित पैरा में निपटाया जा चुका है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. इंड-स्फिक्स प्रिंसीजन लिमिटेड भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख उत्पादक है। एक अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादक, अर्थात् सीटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है, जिसके उत्पादन और क्षमता का विवरण आवेदन में अभिलेख पर रखा गया है।

- ii. जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा लगभग ***% था।
- iii. आवेदक ने न तो संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, और न ही वह संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में उसके किसी आयातक से संबंधित है। अतः वह नियमावली के नियम 2(ख) को नियम 5(3) के साथ पढ़े जाने पर निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है। आवेदक की स्थिति को किसी हितबद्ध पक्षकार ने विवादित नहीं किया है और इसलिए इसे स्वीकार किया जा सकता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. नियमावली का नियम 2(ख) “घरेलू उद्योग” को समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबद्ध किसी गतिविधि में लगे घरेलू उत्पादकों के समग्र रूप में अथवा ऐसे उत्पादकों के रूप में परिभाषित करता है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात हो; तथापि, जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, वहां उन्हें इससे बाहर रखा जा सकता है।
39. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आवेदक और अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादक के उत्पादन की जांच की है। प्रासंगिक सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	उत्पादक	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	इंड-स्फिक्स प्रिंसीजन लिमिटेड	मात्रा	***	***	***	***
2	सीटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अनुमानित)	मात्रा	***	***	***	***
3	कुल भारतीय उत्पादन	मात्रा	***	***	***	***
4	आवेदक का हिस्सा	%	***	***	***	***

40. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा लगभग ***% था। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में उनके किसी आयातक से संबंधित है, और इन तथ्यों में से किसी को भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने विवादित नहीं किया है।
41. तदनुसार प्राधिकारी मानते हैं कि इंड-स्फिक्स प्रिंसीजन लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में “घरेलू उद्योग” है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. केमर ने प्रस्तुत किया कि संशोधित पीसीएन संरचना प्रस्तावित करने वाले घरेलू उद्योग के अनुरोध का अगोपनीय संस्करण, 3 नवंबर 2025 को पीसीएन पद्धति संशोधित किए जाने से पहले उसे उपलब्ध नहीं था और इसलिए वह उस चरण में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कर सका।
- ii. भाग लेने वाले पक्षकारों ने लेन-देन-वार कीमतों, ग्राहकों की पहचान, लागत, लाभप्रदता, वाणिज्यिक शर्तों और अन्य व्यवसाय-संबंधित सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- i. घरेलू उद्योग ने एटी एंड एस द्वारा अपने उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर में किए गए गोपनीयता दावे की सीमा पर और पूर्ववर्ती चरण में एटी एंड एस के आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर की अनुपलब्धता पर आपत्ति की है। उसने प्रस्तुत किया है कि उत्पादन प्रक्रिया, लागत प्रवृत्तियों और डाउनस्ट्रीम प्रभाव के परिमाणीकरण से संबंधित सूचना का अगोपनीय संस्करण में सार्थक सारांश दिया जाना चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता के दावों की जांच की है। लेन-देन का विवरण, लागत, ग्राहक विवरण और लाभप्रदता जैसी वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना को जहां उचित पाया गया, गोपनीय रखा गया है। साथ ही, जहां संभव हो, पक्षकारों से सार्वजनिक अभिलेख के लिए अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।
- ii. केमर की चिंता के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण परिचालित करना आवश्यक है। तथापि, 3 नवंबर 2025 को संशोधित पीसीएन पद्धति अधिसूचित होने के बाद केमर को उस पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया। उसकी टिप्पणियों पर विचार किया गया और केमर द्वारा मांगा गया परिवर्तन 1 दिसंबर 2025 को अधिसूचित अंतिम पीसीएन पद्धति में स्वीकार किया गया।
- iii. घरेलू उद्योग की आपत्ति के संबंध में, एटी एंड एस ने उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर दोनों दायर किए हैं। उसके उपभोग और लागत संबंधी सूचना पर प्रभाव आकलन में विचार किया गया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी उत्तर को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कुछ वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना गोपनीय रखी गई है। तथापि, असमर्थित दावों पर भरोसा नहीं किया गया है और सभी पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण परिचालित करना आवश्यक है।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

- i. केमर ने प्रस्तुत किया है कि उसके निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारत को निर्यात के दो पृथक चैनल दर्शाए गए हैं। पहले चैनल में स्वयं केमर द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे आपूर्ति किया गया। दूसरे चैनल में संबद्ध देश के किसी अन्य असंबद्ध उत्पादक से खरीदी गई और भारत के ग्राहकों को पुनः बेची गई संबद्ध वस्तुएं शामिल हैं, जिनके संबंध में केमर केवल व्यापारी के रूप में कार्य करता है और संबंधित उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है। केमर ने प्रस्तुत किया है कि उसकी निर्यात कीमत और पहुँच कीमत के निर्धारण के लिए केवल पहले चैनल पर विचार किया जाना चाहिए।
- ii. केमर ने चीन जनवादी गणराज्य से एल्युमिनियम फॉइल के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा में 14 मार्च 2022 के अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया है, जिसमें प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादक की कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के प्रयोजन से केवल उन्हीं निर्यात लेन-देन पर विचार किया था जिन वस्तुओं का विनिर्माण सहयोगी उत्पादक द्वारा किया गया था।
- iii. एटी एंड एस और केमर ने प्रस्तुत किया है कि आवेदन में स्वयं दर्ज है कि घरेलू उद्योग भारतीय मांग का केवल लगभग ***% से ***% पूरा करने की क्षमता रखता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि शेष मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं; चीन जनवादी गणराज्य से आयात मांग की वृद्धि के अनुरूप, बल्कि उससे भी कम, बढ़े हैं; और जहां ऐसे आयातों का एक महत्वपूर्ण भाग स्वीकार किए गए मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करता हो, वहां केवल पर्याप्त आयातों का अस्तित्व अपने-आप में क्षतिकारक पाटन का साक्ष्य नहीं है।
- iv. एटी एंड एस ने आगे प्रस्तुत किया है कि वह विचाराधीन उत्पाद घरेलू उद्योग से खरीदने के साथ-साथ आयात भी करता है; आयात इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि घरेलू उद्योग के पास न तो पर्याप्त क्षमता है और न ही उसकी गुणवत्ता आवश्यकताओं और विशिष्ट तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने की क्षमता है; तथा उसके एचडीआई उत्पादन के लिए ऐसे विनिर्देश वाले टूल्स की आवश्यकता होती है जिनकी घरेलू उद्योग आपूर्ति नहीं कर सकता।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

- i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि सेंसेशन सिस्टम्स ने केवल हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया, परंतु उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर, आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर अथवा कोई सहायक सूचना दायर नहीं की। *मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* पर भरोसा करते हुए उसने प्रस्तुत किया है कि केवल पंजीकरण

पर्याप्त नहीं है और किसी आयातक को नियम 2(ग) के अंतर्गत अपेक्षित प्रश्नावली सूचना प्रस्तुत करके अपनी स्थिति स्थापित करनी होती है।

- ii. घरेलू उद्योग ने 29 नवंबर 2025 के अपने पत्र और सुनवाई-पत्रात लिखित अनुरोधों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि भारत में पाटन रोधी शुल्क उत्पादक पर लगाया जाता है, व्यापारी अथवा निर्यातक पर नहीं; दूसरे चैनल के लेन-देन केमर की उत्पादन लागत, कीमत निर्धारण निर्णय अथवा निर्यात व्यवहार को प्रतिबिंबित नहीं करते; जिस उत्पादक से वस्तुएं खरीदी गईं उसने सहयोग नहीं किया है; और इसलिए ऐसे लेन-देन अवशिष्ट अथवा असहयोगी श्रेणी में आने चाहिए।
- iii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि मांग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व पाटन के विरुद्ध कोई बचाव नहीं है; उसके पास उपलब्ध और अप्रयुक्त क्षमता है; उसने जांच अवधि के दौरान वास्तव में एटी एंड एस को आपूर्ति की है; वह उचित बाजार परिस्थितियों में उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है; तथा पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते और इससे केवल अनुचित कीमत निर्धारण का समाधान किया जाता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

ऐसे आयातक की भागीदारी जिसने प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है

42. प्राधिकारी प्राधिकारी नोट करते हैं कि सेंसेशन सिस्टम्स ने न तो प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर किया है, न आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जांच के किसी चरण में कोई लिखित या मौखिक अनुरोध किया है। अतः उस पक्षकार का कोई भी अनुरोध अभिलेख पर नहीं है, जिस पर इन अंतिम निष्कर्षों में विचार करना अपेक्षित हो। फिर भी, प्राधिकारी इस स्थापित स्थिति को मानते हैं कि हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने की इच्छा रखने वाली किसी इकाई को लागू प्रश्नावली में मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करके अपनी स्थिति स्थापित करनी होगी, और जहां ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, वहां प्राधिकारी नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने के हकदार हैं।

सहयोगी निर्यातक द्वारा विनिर्मित न की गई वस्तुओं के निर्यात का व्यवहार

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे पर पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है। विशिष्ट उत्पादक-निर्यातक संयोजन के संबंध में व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और परिणामस्वरूप व्यक्तिगत शुल्क निर्धारित करना प्राधिकारी की स्थापित पद्धति है; और ऐसे उत्पादक द्वारा विनिर्मित वस्तुएं जिसने जांच में भाग नहीं लिया है, केवल इस कारण सहयोगी उत्पादक के लिए निर्धारित व्यक्तिगत मार्जिन का लाभ नहीं ले सकतीं कि उन्हें उस सहयोगी निर्यातक के माध्यम से निर्यात किया गया है। कोई अन्य दृष्टिकोण अवशिष्ट शुल्क के अपवंचन की अनुमति देगा।
44. तदनुसार प्राधिकारी ने केमर के संबंध में निवल निर्यात कीमत, पहुँच कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल उन *** मात्रा संबद्ध वस्तुओं के आधार पर किया है जिनका विनिर्माण स्वयं केमर ने किया और जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया। संबद्ध देश के किसी अन्य उत्पादक द्वारा विनिर्मित और केमर द्वारा भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएं अवशिष्ट अथवा असहयोगी श्रेणी में आती हैं।

मांग-आपूर्ति अंतर और उपयोगकर्ता-विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताएं

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व अपने-आप में न तो पाटन और न ही वास्तविक क्षति को नकारता है। न अधिनियम और न नियमावली घरेलू उद्योग को राहत की शर्त के रूप में संपूर्ण घरेलू मांग की आपूर्ति करने में सक्षम होने की अपेक्षा करते हैं; प्रासंगिक जांच यह है कि क्या आयात पाटित हैं और क्या ऐसे पाटित आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच अवधि में आवेदक के पास *** मात्रा स्थापित क्षमता के मुकाबले *** मात्रा उत्पादन था, जिससे लगभग *** मात्रा अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध थी, और बाजार में दूसरा भारतीय उत्पादक भी उपस्थित है। अतः यह अनुरोध आर्थिक हित और जनहित के आकलन के लिए प्रासंगिक है और नीचे संबंधित पैरा में उस संदर्भ में इसकी जांच की गई है, किंतु इससे पाटन, क्षति अथवा कारणात्मक संबंध का निर्धारण अप्रभावित रहता है।

46. एटी एंड एस के तकनीकी और एचडीआई-संबंधी अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटी एंड एस ने स्वयं घरेलू उत्पाद को समान वस्तु माना है और जांच अवधि के दौरान घरेलू खरीद की है; तथा ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित कोई पीसीएन-विशिष्ट अपवर्जन अनुरोध सिद्ध नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो कि कोई परिभाषित उत्पाद प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता अथवा उसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती। अतः प्राधिकारी इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना उचित नहीं मानते हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- केमर ने प्रस्तुत किया कि उसने जांच में पूर्ण सहयोग किया है और अपेक्षित निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किया है। इसलिए उसने अनुरोध किया है कि उसका सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुँच कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन उसकी स्वयं की सत्यापित सूचना के आधार पर पृथक् रूप से निर्धारित किए जाएं और उस पर लागू कोई शुल्क उसके व्यक्तिगत मार्जिन पर आधारित हो। एटी एंड एस ने इस अनुरोध का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि जिस सहयोगी उत्पादक के अपने मार्जिन सकारात्मक नहीं हैं, उस पर असहयोगी उत्पादकों पर लागू अवशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- केमर ने कहा है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा नहीं कर रहा है। तदनुसार उसने चीन जनवादी गणराज्य में अपनी घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का अनुरोध नहीं किया है।
- केमर ने प्रस्तुत किया कि भारत को उसके निर्यात असंबद्ध ग्राहकों को सीधे कारखाना-द्वारा आधार पर किए गए थे। निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए वीजक मूल्य से ऋण लागत और बैंक प्रभार घटाए गए। पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए सीआईएफ कीमत प्राप्त करने हेतु अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह व्यय, समुद्री भाड़ा और बीमा जोड़े गए, और उसके बाद मूल सीमा शुल्क तथा लागू समाज कल्याण अधिभार जोड़ा गया।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों तथा निर्यातकों से यह प्रदर्शित करने को कहा जाना चाहिए कि समान वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। ऐसा प्रदर्शित न किए जाने तक सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत से संबंधित सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि ऐसी सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अतः नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में परिकल्पित तीसरी पद्धति के अनुसार सामान्य मूल्य का दावा भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ मार्जिन के लिए समुचित समायोजन करके किया गया है।
- घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि किसी असंबद्ध गैर-भागीदार उत्पादक द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के केमर द्वारा किए गए निर्यात को केमर की व्यक्तिगत निर्यात कीमत के निर्धारण का भाग नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्हें इसके बजाय अवशिष्ट अथवा असहयोगी दायरे में रखा जाना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

47. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में उपभोग हेतु निर्धारित समान वस्तु की सामान्य व्यापार प्रक्रिया में तुलनीय कीमत से है। नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 8 उपबंध करता है कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य उस अनुबंध के पैरा 7 में दिए गए आधार पर निर्धारित किया जाएगा। पैरा 8(3) के अनुसार उत्तर देने वाले उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा इसका खंडन किए जाने के अधीन, पैरा 8(2) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किया है और वर्तमान जांच में सहयोग किया है:
- i. केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक)।
49. संबद्ध देश के किसी अन्य उत्पादक अथवा निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है अथवा वर्तमान जांच में अन्यथा सहयोग नहीं किया है, यद्यपि जांच शुरू करने की अधिसूचना और निर्यातक प्रश्नावली ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भेजी गई थीं।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

50. जांच शुरू करने की अधिसूचना में संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों से निर्धारित प्रारूप में यह प्रदर्शित करने को कहा गया था कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं। एकमात्र भाग लेने वाले उत्पादक और निर्यातक केमर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा नहीं कर रहा है। संबद्ध देश के किसी अन्य उत्पादक अथवा निर्यातक ने पैरा 8(2) की धारणा का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का कोई दावा अथवा अन्य खंडन दायर नहीं किया है। अतः संबद्ध देश के संबंध में सामान्य मूल्य अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा; अथवा जहां ऐसा संभव न हो, वहां किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई अथवा देय कीमत, जिसे आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया हो, भी शामिल है...”

51. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों की जांच की है। पहला, घरेलू उद्योग सहित किसी हितबद्ध पक्षकार ने उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में समान वस्तु की कीमत अथवा निर्मित मूल्य के संबंध में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अतः पहला विकल्प लागू नहीं किया जा सका। दूसरा, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातित समान वस्तु की कीमत का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, ट्रेड मैप जैसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यापार डेटाबेस समेकित टैरिफ-मद स्तर पर आंकड़े उपलब्ध कराते हैं और वर्तमान मामले में अपेक्षित जांच-विशिष्ट पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध नहीं कराते। चूंकि पीसीबी टूल्स को टूल के प्रकार, फ्लूट व्यास और लेपन के आधार पर अनेक तकनीकी पीसीएन में विभाजित किया गया है, ऐसे समेकित आंकड़ों से समुचित समान-से-समान तुलना संभव नहीं होगी। इसलिए दूसरा विकल्प भी उपयुक्त नहीं माना गया। तदनुसार, पहले दो विकल्प विश्वसनीय और उपयोग योग्य रूप में उपलब्ध न होने के कारण प्राधिकारी पैरा 7 में परिकल्पित तीसरे आधार, अर्थात् “किसी अन्य उचित आधार, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई अथवा देय कीमत, जिसे आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया हो”, पर आगे बढ़े हैं और अनुबंध-III के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलित भारत में समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की लागत के संदर्भ में, उचित लाभ जोड़कर, सामान्य मूल्य निर्मित किया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड

52. केमर चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक है और उसने 10 अप्रैल 2026 के पूरक उत्तर सहित निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किया है। उसने संबद्ध वस्तुओं का भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे कारखाना-द्वार आधार पर निर्यात किया है। ऊपर संबंधित पैरा में दर्ज कारणों से, उसके व्यक्तिगत निर्धारण के लिए केवल स्वयं केमर द्वारा विनिर्मित *** मात्रा संबद्ध वस्तुओं को ध्यान में रखा गया है।
53. कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए कारखाना-द्वार बीजक मूल्य से ऋण लागत और बैंक प्रभार घटाए गए हैं। पहुँच कीमत प्राप्त करने के लिए कारखाना-द्वार कीमत में अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह और अन्य व्यय तथा समुद्री भाड़ा और बीमा जोड़कर सीआईएफ कीमत प्राप्त की गई है, और उसमें मूल सीमा शुल्क

तथा उस पर समाज कल्याण अधिभार जोड़ा गया है। दावा किए गए समायोजनों की सहायक अभिलेखों के संदर्भ में जांच की गई है और उन्हें स्वीकार्य तथा सत्यापन योग्य पाए जाने की सीमा तक अनुमत किया गया है। पीसीएन-वार स्थिति निम्नानुसार है:

पीसीएन	मात्रा (मात्रा)	बीजक मूल्य (अमेरिकी डॉलर)	निवल निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	निवल निर्यात कीमत (रु./मात्रा)	सीआईएफ (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पहुँच कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पहुँच कीमत (रु./मात्रा)
पीसीडीबीयूसी	***	***	***	***	***	***	***
पीसीडीसीयूसी	***	***	***	***	***	***	***
पीसीडीडीयूसी	***	***	***	***	***	***	***
कुल	***	***	***	***	***	***	***

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

54. चीन जनवादी गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसके लिए केमर से संबंधित लेन-देन को बाहर करने के बाद डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आयात आंकड़ों का उपयोग किया गया है।
55. असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

56. ऊपर दिए अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वारा व्यापार स्तर पर की गई है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के मामले में विचाराधीन उत्पाद के निर्मित सामान्य मूल्य की तुलना उसके प्रश्नावली उत्तर में रिपोर्ट की गई और प्राधिकारी द्वारा जांच की गई उसकी स्वयं की भारित औसत निवल निर्यात कीमत, अर्थात् *** अमेरिकी डॉलर प्रति मात्रा, से की गई है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में तुलना उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत से की गई है।
57. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक	निर्यात की मात्रा (मात्रा)	सामान्य मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पाटन मार्जिन (%)	सीमा (%)
1	केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	(10-20)
2	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	30-40

58. तदनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन ऋणात्मक है, जबकि संबद्ध देश के अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में यह सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात में वृद्धि मुख्यतः मांग में वृद्धि के अनुरूप रही और 2023-24 के स्तर की तुलना में जांच अवधि में आयात घटे। अतः उन्होंने तर्क दिया कि जांच अवधि में आयातों में कोई नई तीव्र वृद्धि नहीं हुई।
- ii. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी और मालसूची की स्थिति में सुधार हुआ। यद्यपि आवेदक घाटे में बना रहा, घाटे की गति का आयात मात्रा अथवा आयात कीमतों से सीधा संबंध नहीं था और इसलिए वित्तीय गिरावट को केवल संबद्ध आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।
- iii. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अन्य लागत कारकों ने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया हो सकता है। स्थापित क्षमता में किसी वृद्धि के बिना क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी मजदूरी और निवल स्थिर परिसंपत्तियां बढ़ीं। हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार, इन वृद्धियों की कारणात्मक संबंध विश्लेषण में संभावित गैर-आयात कारकों के रूप में जांच की जानी चाहिए।
- iv. एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया कि पीयूसी का एक प्रमुख आयातक होने के कारण उसके पीसीबी उत्पादन में कमी से जांच अवधि के दौरान पीसीबी टूल्स के आयात में कमी आई। अतः आयातों में गिरावट पाटन-संबंधी कारकों के बजाय उपयोगकर्ता मांग में कमी के कारण हो सकती है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

60. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात पर्याप्त बने हुए हैं और आधार वर्ष के स्तर से काफी अधिक हैं। भारतीय उत्पादन के सापेक्ष उनकी हिस्सेदारी आधार वर्ष में लगभग ***% से बढ़कर जांच अवधि में लगभग ***% हो गई और संबद्ध आयात भारतीय मांग के एक प्रमुख हिस्से के लिए उत्तरदायी बने रहे।
- ii. यह प्रस्तुत किया गया कि मार्च 2024 में कुछ बेयर पीसीबी पर पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय पीसीबी उत्पादन में वृद्धि से पीसीबी टूल्स की मांग बढ़ी और आवेदक को अपने उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने में सहायता मिली। जांच अवधि के दौरान आयात और मांग में बाद की गिरावट मुख्यतः एटी एंड एस के पीसीबी उत्पादन और आयात में कमी के कारण बताई गई। साथ ही, आधार वर्ष की तुलना में अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- iii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि संबद्ध आयात उसकी बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर आ रहे थे। कीमत कटौती और कीमत अल्प-बिक्री महत्वपूर्ण बताई गई, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण हुआ।
- iv. आवेदक ने कहा कि कुछ मात्रा-संबंधी संकेतकों में सुधार के बावजूद उसका वित्तीय निष्पादन कमजोर बना रहा। आधार वर्ष में उसने केवल सीमांत लाभ अर्जित किया और उसके बाद घाटे उठाए, तथा नकद लाभ, व्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और नियोजित पूंजी पर आय में भी समान प्रतिकूल प्रवृत्तियां रहीं। यह प्रस्तुत किया गया कि क्षति विश्लेषण में सकारात्मक और वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर आयात मात्रा, कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए।
- v. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि क्षति अन्य ज्ञात कारकों के कारण नहीं हुई। आयातों का अत्यधिक बहुमत चीन जनवादी गणराज्य से था, जबकि अन्य देशों से आयात सीमित और सामान्यतः अधिक कीमतों पर थे। क्षति अवधि में मांग बढ़ी, निर्यात निष्पादन की पृथक रूप से जांच की गई और तकनीकी परिवर्तनों, व्यापार प्रतिबंधों, कच्चे माल अथवा बिजली की कमी, अपर्याप्त क्षमता, निवेश संबंधी बाधाओं अथवा संयंत्र बंदी के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं मानी गई।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

61. नियमावली का नियम 11, उसके अनुबंध-II के साथ पठित, यह उपबंध करता है कि क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, और इसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाएगा, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है।
62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का संज्ञान लिया है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वयं ही हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

मांग/प्रत्यक्ष खपत का आकलन

63. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग/प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	118	163
2	अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	701	334	392
3	चीन जनवादी गणराज्य से आयात	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	151	132
4	अन्य देशों से आयात	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	45	883	22
5	कुल मांग/खपत	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	224	139

64. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गई, जो सूचकांकित रूप में लगभग ***% की वृद्धि दर्शाती है।
65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2023-24 की मांग का आंकड़ा उस वर्ष अकेले ताइवान के विरुद्ध दर्ज *** मात्रा की असाधारण मात्रा के कारण विकृत है, जबकि 2022-23 में यह *** मात्रा और जांच अवधि में *** मात्रा थी। अतः प्राधिकारी ने 2023-24 की मांग अथवा बाजार हिस्सेदारी की स्थिति को प्रतिनिधिक नहीं माना है और प्रवृत्ति विश्लेषण को आधार वर्ष तथा जांच अवधि के बीच तुलना पर आधारित किया है।
66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रासंगिक सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	चीन जनवादी गणराज्य से आयात	मात्रा	68,99,618	1,00,73,147	1,04,30,398	91,26,189
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	151	132

2	भारत में माँग	मात्रा	***	***	***	***
3	भारतीय उत्पादन	मात्रा	***	***	***	***
4	संबद्ध आयातों का निम्नलिखित के सापेक्ष अनुपात:					
i	भारत में माँग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	67	95
ii	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	233	171
iii	कुल आयात	%	85.09%	94.93%	49.40%	97.20%

67. यह देखा गया है कि:

- संबद्ध आयात निरपेक्ष रूप से आधार वर्ष में 68,99,618 मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में 91,26,189 मात्रा हो गए, अर्थात् लगभग 32% की वृद्धि हुई।
- भारतीय मांग के सापेक्ष जांच अवधि में संबद्ध आयातों की ***% हिस्सेदारी आधार वर्ष की ***% हिस्सेदारी से मामूली कम थी। तथापि, भारतीय उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच अवधि में ***% हो गई।
- जांच अवधि में भारत के कुल आयातों में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी 97.20% थी, जबकि आधार वर्ष में यह 85.09% थी।

68. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि वर्ष-दर-वर्ष कमी के बावजूद क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारतीय बाजार में आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बने रहे और भारत में उत्पादन के सापेक्ष इनमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध आयात मांग के अनुरूप बढ़े।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

69. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों ने भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण कीमत कटौती की है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा कम करने अथवा सामान्य परिस्थितियों में होने वाली कीमत वृद्धि को रोकने का रहा है।

कीमत कटौती

70. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत से की गई है। पहुँच कीमत का निर्धारण लेन-देन-वार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए निर्धारणीय मूल्य में मूल सीमा शुल्क जोड़कर किया गया है।

विवरण	इकाई	जांच अवधि
आयात की मात्रा	मात्रा	91,26,189
निवल बिक्री कीमत	रु./मात्रा	***
पहुँच कीमत	रु./मात्रा	31.31
कीमत कटौती	रु./मात्रा	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	सीमा (%)	30-40

71. यह नोट किया गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

कीमत दमन/अवसाद

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की नीचे जांच की गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	बिक्री की लागत	रु./मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	135	117
2	बिक्री कीमत	रु./मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	103	101
3	चीन जनवादी गणराज्य से आयात की पहुँच कीमत	रु./मात्रा	40.75	40.42	38.04	31.31
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	93	77

73. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत आधार वर्ष में रु. *** प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 100) से बढ़कर जांच अवधि में रु. *** प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 117) हो गई।

ii. उसी अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत केवल मामूली रूप से आधार वर्ष में रु. *** प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 100) से बढ़कर जांच अवधि में रु. *** प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 101) हुई।

iii. 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि, प्रत्येक में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से कम रही।

iv. संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत रु. 40.75 प्रति मात्रा से घटकर रु. 31.31 प्रति मात्रा (सूचीबद्ध 77) हो गई और पूरी अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम रही।

74. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग अपनी लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से वंचित रहा और पाटित आयातों का महत्वपूर्ण कीमत-ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

75. पाटन रोधी नियमावली का अनुबंध-II उपबंध करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

76. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	क्षमता	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	उत्पादन (पीयूसी)	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	86	114
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	86	114
4	घरेलू बिक्री	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	118	163

5	माँग	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	224	139

77. यह देखा गया है कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता *** मात्रा पर स्थिर रही।

ii. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गया।

iii. क्षमता उपयोग, जो आधार वर्ष में ***% था, जांच अवधि में सुधरकर ***% हो गया।

iv. घरेलू बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हुई और यह आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गई।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये सुधार महत्वपूर्ण अनुकूल संकेतक हैं और यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि में भाग लेने में सक्षम था। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के साथ कार्य करता रहा। *** मात्रा स्थापित क्षमता के मुकाबले जांच अवधि में उत्पादन *** मात्रा था, जिससे लगभग *** मात्रा क्षमता अप्रयुक्त रही, जबकि उसी समय संबद्ध देश से आयात 91,26,189 मात्रा था।

बाजार हिस्सेदारी

79. भारतीय मांग में घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादक, संबद्ध देश और अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई है:

क्र. सं.	बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	53	117
2	अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	471	149	283
3	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	67	95
4	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	30	394	16

80. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में ***% से सुधरकर जांच अवधि में ***% हो गई, जबकि संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी जांच अवधि में ***% थी, जबकि आधार वर्ष में यह ***% थी।

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य भारतीय मांग के आधे से अधिक हिस्से के लिए उत्तरदायी बना रहा और घरेलू उद्योग को कीमतों अथवा लाभप्रदता में अनुरूप सुधार प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि केवल मात्रा-संबंधी संकेतकों में सुधार वास्तविक क्षति को नकारता नहीं है, विशेषकर जहां पाटित आयात लगातार महत्वपूर्ण कीमत दबाव डालते रहते हैं।

मालसूची

82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	आरंभिक मालसूची	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	101	94
2	अंतिम मालसूची	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	104	113
3	औसत मालसूची	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	103	103

83. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में केवल मामूली वृद्धि हुई और यह आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन ऑर्डर-आधारित और स्टॉक-आधारित, दोनों रणनीतियों के अंतर्गत करता है और दोहराए जाने वाले ऑर्डरों के लिए तैयार माल की न्यूनतम मालसूची रखता है।

लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

84. लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	कर-पूर्व लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(147)	(773)	(453)
2	ब्याज और कर-पूर्व लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(12)	(322)	(133)
3	नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(18)	(342)	(154)
4	नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(10)	(338)	(110)

85. यह देखा गया है कि:

- घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में रु. *** लाख का लाभ अर्जित किया और उसके बाद प्रत्येक वर्ष घाटा उठाया; जांच अवधि में घाटा रु. *** लाख था।
- घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में रु. *** लाख का नकद लाभ अर्जित किया और उसके बाद प्रत्येक वर्ष नकद घाटा उठाया; जांच अवधि में नकद घाटा रु. *** लाख था।
- ब्याज और कर पूर्व लाभ केवल आधार वर्ष में सकारात्मक था और शेष तीनों अवधियों में ऋणात्मक रहा।
- नियोजित पूंजी पर आय आधार वर्ष में ***% था और उसके बाद ऋणात्मक हो गया; जांच अवधि में यह (***%) था।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग घाटे में, नकद-ऋणात्मक और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय अर्जित करने वाला हो गया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर भी विचार किया है कि घाटे का आयात मात्रा से एक-से-एक संबंध नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में क्षति मुख्यतः पाटित आयातों की कम कीमतों से उत्पन्न हुई, जिसने घरेलू उद्योग को अपनी लागत की पूर्ण वसूली करने से रोका।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

87. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता संबंधी आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	134	131
2	मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	219	213
3	प्रति कर्मचारी मजदूरी	रु./कर्मचारी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	164	162
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मात्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	64	87

88. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष में 143 से बढ़कर जांच अवधि में 188 हो गई और वेतन तथा मजदूरी रु. *** लाख से बढ़कर रु. *** लाख हो गई। प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2023-24 में सूचीबद्ध 64 तक घट गई और जांच अवधि में सुधरकर सूचीबद्ध 87 हो गई, किंतु आधार वर्ष से कम रही। घरेलू उद्योग ने कहा है कि इन मापदंडों में परिवर्तन में अनेक कारक शामिल हैं और उसने इन्हें क्षति के कारकों के रूप में दावा नहीं किया है।

वृद्धि

89. नीचे दी गई तालिका विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि दर्शाती है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	जांच अवधि
1	उत्पादन	%	5.48%	(18.36%)	32.48%
2	घरेलू बिक्री	%	21.05%	(2.66%)	38.18%
3	कर-पूर्व लाभ	%	(246.70%)	(426.59%)	(41.40%)
4	नकद लाभ	%	(117.68%)	(1,834.33%)	(54.98%)
5	नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	(110.17%)	(3,225.54%)	(67.43%)
6	मालसूची	%	0.69%	2.07%	0.62%
7	बाजार हिस्सेदारी	%	(18.65%)	(35.34%)	123.23%

90. यह देखा गया है कि जांच अवधि में मात्रा-संबंधी मापदंडों में वृद्धि सकारात्मक थी, उत्पादन में 32.48% और घरेलू बिक्री में 38.18% की वृद्धि हुई, जबकि कीमत-संबंधी और वित्तीय मापदंडों में वृद्धि ऋणात्मक थी। अतः मात्रा संकेतकों के आधार पर क्षति की स्थिति मिश्रित है, जबकि कीमत और वित्तीय संकेतकों के आधार पर अत्यंत प्रतिकूल है।

पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता और पाटन मार्जिन की मात्रा

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग अपनी स्थापित क्षमता के एक महत्वपूर्ण भाग का उपयोग नहीं कर सका है और उसे निरंतर घाटा तथा नियोजित पूँजी पर ऋणात्मक आय हुआ है, जिससे पूँजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबद्ध देश से लगभग 92% आयातों के लिए उत्तरदायी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक है और विहित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

वास्तविक क्षति पर निष्कर्ष

92. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- संबद्ध देश से आयात निरपेक्ष रूप से आधार वर्ष में 68,99,618 मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में 91,26,189 मात्रा हो गए; इसी अवधि में भारतीय उत्पादन के सापेक्ष वे ***% से बढ़कर ***% हो गए; और भारतीय मांग में उनकी हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में मामूली कम रही।
 - जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ। इन अनुकूल संकेतकों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।
 - इस सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग के पास लगभग *** मात्रा अप्रयुक्त क्षमता बनी रही, जबकि संबद्ध देश से आयात 91,26,189 मात्रा थे।
 - क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में 23% की गिरावट आई जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में ***% की वृद्धि हुई, और जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती 30-40% की सीमा में थी।
 - आधार वर्ष के बाद के प्रत्येक तीन वर्षों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से कम रही, जिससे महत्वपूर्ण कीमत दमन स्थापित होता है।
 - आधार वर्ष के बाद की पूरी अवधि, जिसमें जांच अवधि भी शामिल है, में घरेलू उद्योग घाटे में और नकद-ऋणात्मक रहा तथा नियोजित पूँजी पर उसका आय ऋणात्मक रहा।
93. तदनुसार प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को नियमावली के नियम 11 को अनुबंध-II के साथ पढ़े जाने पर वास्तविक क्षति हुई है। जांच अवधि के दौरान कुछ मात्रा-संबंधी संकेतकों में दर्ज सुधार के बावजूद यह क्षति मुख्यतः प्रतिकूल कीमत प्रभावों और घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में परिलक्षित हुई है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

94. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (v) के अनुसार प्राधिकारी को पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जांच करनी होती है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो, ताकि ऐसे अन्य कारकों से हुई क्षति का आरोप पाटित आयातों पर न लगाया जाए। प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात कारकों की जांच की है।

तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

95. जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य देशों से आयात भारतीय मांग का केवल 1.61% था और उनकी औसत सीआईएफ कीमत चीन जनवादी गणराज्य से आयात की कीमत से काफी अधिक थी। 2023-24 में ताइवान के विरुद्ध दर्ज असाधारण मात्रा का ऊपर पृथक रूप से उल्लेख किया गया है और उससे जांच अवधि की स्थिति प्रभावित नहीं होती। अतः तीसरे देशों से आयात जांच अवधि में देखी गई कीमत कटौती अथवा कीमत दमन की व्याख्या नहीं कर सकते और उनसे कोई क्षति आरोपित नहीं की जा सकती।

मांग में संकुचन अथवा खपत के स्वरूप में परिवर्तन

96. भारतीय मांग आधार वर्ष में *** मात्रा से बढ़कर जांच अवधि में *** मात्रा हो गई, अर्थात् लगभग ***% की वृद्धि हुई। क्षति अवधि में मांग में ऐसा कोई संकुचन नहीं था जो क्षति की व्याख्या कर सके और खपत के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन स्थापित नहीं हुआ है।

एटी एंड एस की मांग और स्रोत-चयन संबंधी निर्णय

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटी एंड एस संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक है और उसके पीसीबी उत्पादन में गिरावट ने जांच अवधि के दौरान आयातों में कमी में योगदान दिया। तथापि, इससे केवल आयात मात्रा में कमी की व्याख्या होती है, प्रतिकूल कीमत प्रभावों की नहीं। संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में 23% की गिरावट आई, कीमत कटौती बढ़कर 30-40% हो गई और घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में 17% की वृद्धि की वसूली नहीं कर सका। अतः एटी एंड एस के कारण आयात में कमी घरेलू उद्योग को हुई कीमत और वित्तीय क्षति की व्याख्या नहीं करती।

कर्मचारी लागत और निवल स्थिर परिसंपत्तियां

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में प्रति कर्मचारी मजदूरी और निवल स्थिर परिसंपत्तियां बढ़ीं। इन वृद्धियों का आरोप पाटित आयातों पर नहीं लगाया गया है। तथापि, इनसे संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में 23% की गिरावट अथवा कीमत कटौती में वृद्धि की व्याख्या नहीं होती। इसके अतिरिक्त, अनुबंध-III के अंतर्गत क्षति रहित कीमत निर्धारित करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की केवल स्वीकार्य और अनुकूलित लागतों पर विचार किया है तथा दावा की गई लागतों के एक भाग को अस्वीकार किया है।

निर्यात निष्पादन

99. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों पर आधारित किया है। निर्यात बिक्री और निर्यात लाभप्रदता को पृथक किया गया है और वे घरेलू बाजार के लिए क्षति आकलन का भाग नहीं हैं। अतः निर्यात निष्पादन ऐसा कारक नहीं है जो घरेलू बाजार में हुई क्षति की व्याख्या कर सके।

अन्य उत्पादों का निष्पादन

100. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं से संबंधित आंकड़ों की जांच की है। जैसा कि ऊपर दर्ज है, क्षति निर्धारण के लिए जिन लागत, बिक्री और लाभप्रदता आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, उन्हें विचाराधीन उत्पाद तक सीमित रखा गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन विचाराधीन उत्पाद के संबंध में क्षति का संभावित कारण नहीं है।

प्रौद्योगिकी और उत्पाद गुणवत्ता में विकास

101. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो अथवा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु तकनीकी रूप से अप्रचलित अथवा अप्रतिस्थापनीय हो गई हो। एटी एंड एस ने स्वयं घरेलू उत्पाद को समान वस्तु माना है और जांच अवधि में उसे घरेलू स्रोत से खरीदा है। उत्पाद-विशिष्ट तकनीकी भेदों का समाधान अंतिम रूप से अधिसूचित पीसीएन पद्धति के माध्यम से किया गया है। एटी एंड एस का एचडीआई-संबंधी अनुरोध उसके स्रोत-चयन निर्णयों और जनहित आकलन के लिए प्रासंगिक है, किंतु यह स्थापित नहीं करता कि समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद तकनीकी रूप से अप्रतिस्थापनीय है।

व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा

102. ऐसी किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति का आरोप नहीं लगाया गया अथवा उसे स्थापित नहीं किया गया जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकती थी। घरेलू और विदेशी उत्पादक एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं और भारत के भीतर संबद्ध वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर पाटन रोधी शुल्क

103. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि जांच अवधि में उसके मात्रा-संबंधी मापदंडों में सुधार छह परतों तक के कुछ बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर अधिसूचना सं. 03/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा लगाए गए पाटन रोधी शुल्क के कारण हुआ, जिससे घरेलू पीसीबी उत्पादन और परिणामस्वरूप पीसीबी टूल्स की मांग बढ़ी। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि यह उपाय घरेलू उद्योग के मात्रा-संबंधी निष्पादन में सुधार को प्रभावित करने वाला प्रासंगिक बाहरी कारक है। तथापि, यह घरेलू उद्योग के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके पक्ष में कार्य करता है और इसका प्रभाव यह स्पष्ट करना है कि पाटित आयात जारी रहने के बावजूद कुछ मात्रा संकेतकों में सुधार क्यों हुआ। इससे प्रतिकूल कीमत प्रभावों के निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

कारणात्मक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक:

- i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप से और भारत में उत्पादन के सापेक्ष बढ़ी है, और संबद्ध देश ने क्षति अवधि के दौरान भारतीय मांग में प्रमुख हिस्सेदारी बनाए रखी है।
 - ii. क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में 23% की गिरावट आई और यह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत से काफी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई कीमत कटौती हुई।
 - iii. पाटित आयातों ने घरेलू कीमतों का ह्रास किया है और घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत में ***% की वृद्धि की वसूली के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है।
 - iv. आधार वर्ष के बाद की प्रत्येक अवधि, जिसमें जांच अवधि भी शामिल है, में घरेलू उद्योग वित्तीय घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय उठा रहा है।
 - v. जांच अवधि में घरेलू उद्योग के पास लगभग *** मात्रा अप्रयुक्त क्षमता बनी रही, जबकि संबद्ध आयात 91,26,189 मात्रा थे।
 - vi. कोई अन्य ज्ञात कारक पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को नहीं तोड़ता।
104. ऊपर दिए गए कारणों से प्राधिकारी मानते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए गैर-आरोपण संबंधी तर्क, चाहे वे मांग के साथ आयातों की गति, मात्रा मापदंडों में सुधार, घाटे और आयात मात्रा अथवा कीमतों के बीच एक-से-एक संबंध की अनुपस्थिति, कर्मचारी लागत और निवल स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि, अथवा एटी एंड एस के स्रोत-चयन संबंधी निर्णयों पर आधारित हों, अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से घरेलू बाजार में पाई गई वास्तविक क्षति की व्याख्या नहीं करते। सत्यापित अभिलेख एक साथ और परस्पर सुदृढ़ करने वाला ऐसा स्वरूप दर्शाता है जिसमें पाटित आयात प्रमुख बाजार हिस्सेदारी बनाए हुए हैं, कीमत कटौती महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई है, कीमत न्यूनीकरण मौजूद है तथा वित्तीय घाटे और ऋणात्मक आय हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

105. प्राधिकारी ने संशोधित नियमावली को अनुबंध-III के साथ पठित निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग के साथ-साथ उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अनुसार क्षति रहित कीमत प्राप्त करने के लिए औसत नियोजित पूंजी पर ब्याज, कर और लाभ हेतु 22% की उचित आय दर की अनुमति दी गई है।
106. प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारित संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों का क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक	निर्यात की मात्रा (मात्रा)	क्षति रहित कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	पहुँच कीमत (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मात्रा)	क्षति मार्जिन (%)	सीमा (%)
1	केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	(20-30)
2	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	***	10-20

107. यह नोट किया गया है कि केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के लिए क्षति मार्जिन ऋणात्मक है और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यह सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
108. कम शुल्क नियम को लागू करते हुए, प्राधिकरण ने प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर को अपनाया है। संबंधित एड-वैलोरम शुल्क की गणना प्रासंगिक सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में अलग से की गई है।

ट. प्रभाव आकलन

जनहित और घरेलू उद्योग का हित

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जनहित और भारतीय उपयोगकर्ता उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- एटी एंड एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“एटी एंड एस”) ने प्रस्तुत किया है कि पीसीबी ड्रिल और राउटर पीसीबी विनिर्माण में आवश्यक उपभोज्य आदान हैं और उन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसे टूल्स का चयन आयाम, सटीकता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता से संबंधित ग्राहक-विशिष्ट तथा उत्पाद-विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, विशेषकर उच्च-घनत्व इंटरकनेक्ट (“एचडीआई”) और अन्य उच्च-स्तरीय पीसीबी के लिए। अतः ऐसे टूल्स की लागत में कोई वृद्धि पीसीबी विनिर्माण की लागत बढ़ाएगी।
 - एटी एंड एस और केमर ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू आपूर्ति की पूर्ति के लिए आयात आवश्यक हैं और घरेलू उद्योग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। एटी एंड एस ने आगे प्रस्तुत किया है कि वह पीयूसी घरेलू रूप से तथा आयात, दोनों माध्यमों से प्राप्त करता है और तकनीकी योग्यता तथा ग्राहक आवश्यकताओं के कारण स्रोत में परिवर्तन तुरंत करना हमेशा संभव नहीं होता।
 - एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया है कि उसके पीसीबी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग निर्यात किया जाता है और इसलिए पीसीबी टूल्स की लागत में वृद्धि घरेलू तथा निर्यात दोनों बाजारों में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती है।
 - केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है कि जनहित के लिए उपयुक्त उत्पादक-विशिष्ट व्यवहार भी आवश्यक है और जिस सहयोगी उत्पादक का अपना पाटन तथा क्षति मार्जिन सकारात्मक नहीं है, उस पर असहयोगी उत्पादकों पर लागू अवशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया कि पीसीबी ड्रिल और राउटर पीसीबी विनिर्माण में आवश्यक आदान हैं और उनका चयन विशिष्ट तकनीकी तथा गुणवत्ता आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। उसने कहा कि घरेलू आपूर्ति की पूर्ति के लिए आयात आवश्यक हैं और तत्काल स्रोत-परिवर्तन हमेशा संभव नहीं हो सकता। अतः पीसीबी टूल्स की लागत में कोई वृद्धि पीसीबी विनिर्माण लागत बढ़ाएगी।
 - एटी एंड एस ने आगे प्रस्तुत किया कि उसके पीसीबी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग निर्यात किया जाता है और अधिक टूल लागत उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती है। केमर ने प्रस्तुत किया कि प्रभाव आकलन में उत्पादक-विशिष्ट व्यवहार भी प्रतिबिंबित होना चाहिए और ऋणात्मक पाटन तथा क्षति मार्जिन वाले सहयोगी उत्पादक पर असहयोगी उत्पादकों पर लागू अवशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी ने विशेष रूप से एटी एंड एस द्वारा उपलब्ध कराई गई परिमाणित सूचना के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के उपयोगकर्ताओं पर पाटन रोधी शुल्क के संभावित प्रभाव की जांच की है। पीसीबी ड्रिल और राउटर पीसीबी विनिर्माण में प्रयुक्त उपभोग्य टूल्स हैं और उनकी लागत पीसीबी उत्पादन लागत का भाग है।
112. जांच अवधि के दौरान एटी एंड एस ने ₹172.57 मिलियन की लागत पर पीयूसी के 63,41,692 मात्रा का उपभोग किया, जबकि उसकी कुल पीसीबी उत्पादन लागत ₹4,359.67 मिलियन थी। इस प्रकार पीयूसी कुल पीसीबी उत्पादन लागत का लगभग 3.96% था।
113. असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निश्चित शुल्क 18% अमेरिकी डॉलर प्रति मात्रा है, जो जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर पर लगभग ₹5.98 प्रति मात्रा के बराबर है। यदि अधिकतम प्रभाव के आकलन मात्र के लिए यह शुल्क जांच अवधि के दौरान एटी एंड एस द्वारा उपभोग की गई संपूर्ण मात्रा पर लागू माना जाए, तो अतिरिक्त लागत लगभग ₹37.92 मिलियन होगी।

विवरण	मात्रा / मूल्य	0.07 अमेरिकी डॉलर/मात्रा के निश्चित शुल्क का प्रभाव
पीयूसी की खपत	63,41,692 मात्रा / ₹172.57 मिलियन	अतिरिक्त शुल्क ≈ ₹37.92 मिलियन
पीयूसी की औसत लागत	≈ ₹27.21/मात्रा	₹5.98/मात्रा का शुल्क पीयूसी लागत में ≈ 21.98% वृद्धि करता है
शुल्क के बाद पीयूसी की लागत	₹172.57 मिलियन	≈ ₹210.49 मिलियन
पीसीबी उत्पादन की कुल लागत	₹4,359.67 मिलियन	अतिरिक्त लागत ≈ ₹37.92 मिलियन
कुल पीसीबी-उत्पादन लागत में वृद्धि	—	≈ 0.87%
शुल्क के बाद कुल पीसीबी-उत्पादन लागत	—	≈ ₹4,397.59 मिलियन
शुल्क के बाद पीसीबी-उत्पादन लागत में पीयूसी का हिस्सा	मौजूदा: 3.96%	≈ 4.79%

114. उपरोक्त 0.87% उच्चतम-पक्षीय प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि इसमें यह मान लिया गया है कि एटी एंड एस द्वारा उपभोग किया गया प्रत्येक पीसीबी टूल 0.07 अमेरिकी डॉलर प्रति मात्रा के निश्चित शुल्क के अधीन है। व्यवहार में घरेलू खरीद पर पाटन रोधी शुल्क नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में प्रकटीकृत निर्धारण के अनुसार केमर का पाटन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है और इसलिए उसके पात्र निर्यात अवशिष्ट शुल्क के अधीन नहीं होंगे।
115. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारतीय बाजार चीन जनवादी गणराज्य से आयात पर काफी निर्भर बना हुआ है। साथ ही, जांच अवधि के दौरान आवेदक के पास लगभग 44.84 लाख मात्रा अप्रयुक्त क्षमता थी और बाजार में एक अन्य भारतीय उत्पादक भी उपस्थित है। पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित भी नहीं होंगे।
116. प्राधिकारी ने एटी एंड एस द्वारा उठाई गई तकनीकी और योग्यता संबंधी आवश्यकताओं का संज्ञान लिया है। तथापि, एटी एंड एस ने स्वयं भारतीय स्रोतों से संबद्ध वस्तुएं खरीदी हैं और अभिलेख पर कोई विशिष्ट पीसीएन अथवा विनिर्देश ऐसा स्थापित नहीं किया गया है जो सामान्यतः घरेलू उत्पादकों से उपलब्ध न हो।
117. तदनुसार, यद्यपि इस प्रकार निर्धारित शुल्क का पीसीबी निर्माताओं की लागत पर कुछ प्रभाव होगा, 0.07 अमेरिकी डॉलर प्रति मात्रा के निश्चित शुल्क का परिमाणित उच्चतम-पक्षीय प्रभाव भाग लेने वाले उपयोगकर्ता की कुल पीसीबी उत्पादन लागत का लगभग 0.87% है। स्रोत मिश्रण के आधार पर वास्तविक प्रभाव इससे कम हो सकता है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह संकेत नहीं देते कि निर्धारित उपाय डाउनस्ट्रीम पीसीबी उद्योग पर असंगत भार डालेगा।

118. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि जनहित ऐसे उपयुक्त रूप से संतुलित उपाय से सर्वोत्तम रूप से पूरा होता है जो आयातों तक वैध पहुंच बनाए रखते हुए और पीसीबी निर्माताओं की तकनीकी आवश्यकताओं को मान्यता देते हुए पाटन से उत्पन्न क्षतिकारक कीमत लाभ को समाप्त करे। वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ऐसा उपाय डाउनस्ट्रीम पीसीबी उद्योग पर असंगत भार डाले बिना निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, घरेलू सटीक-टूल विनिर्माण और अधिक आपूर्ति-लचीलापन को समर्थन देगा और इसलिए जनहित के प्रतिकूल नहीं होगा।

ठ. प्रकटन के बाद प्राप्त टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ

केमर: सहयोग, व्यक्तिगत निर्धारण, ऋणात्मक मार्जिन और शून्य शुल्क

119. केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है कि वह चीन जन. गण. का एकमात्र सहयोगी उत्पादक/निर्यातक है तथा उसके व्यक्तिगत निवल निर्यात मूल्य, उतराई मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की पुष्टि उसके निर्यातक प्रश्नावली उत्तर और पूरक उत्तर में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर की जानी चाहिए। केमर ने प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए ऋणात्मक पाटन मार्जिन और ऋणात्मक क्षति मार्जिन, उसके स्वयं द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्धारित पीसीएन-वार निवल निर्यात मूल्य और उतराई मूल्य तथा पाटनरोधी शुल्क की शून्य दर की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। एटी एंड एस ने केमर के लिए निर्धारित ऋणात्मक मार्जिन की पुष्टि का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि जिस सहयोगी उत्पादक के अपने मार्जिन सकारात्मक नहीं हैं, उस पर असहयोगी उत्पादकों के लिए लागू अवशिष्ट शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
120. केमर ने आगे प्रस्तुत किया है कि यदि उसके व्यक्तिगत निर्धारण से संबंधित किसी आवश्यक गोपनीय गणना में परिवर्तन किया जाता है, तो अंतिम निष्कर्ष जारी किए जाने से पहले संशोधित प्रकटन किया जाना चाहिए। उसने यह भी अनुरोध किया है कि अंतिम निष्कर्षों और शुल्क तालिका में उसका नाम सही रूप में “केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड” दर्ज किया जाए।

घरेलू उद्योग के मात्रा-संबंधी मानदंडों में सुधार और वास्तविक क्षति

121. एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ तथा क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और प्रति कर्मचारी मजदूरी भी बढ़ी। एटी एंड एस के अनुसार, ये अनुकूल संकेतक अनुबंध-II के अंतर्गत आकलन के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि केवल अवशिष्ट श्रेणी के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक होने के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं मानी जा सकती।

मांग-आपूर्ति अंतर, तकनीकी आवश्यकताएं और जनहित

122. एटी एंड एस ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक बने हुए हैं, विशेषकर इसलिए कि विचाराधीन उत्पाद पीसीबी के उत्पादन में प्रयुक्त एक आगत है, भारत में केवल दो उत्पादक हैं तथा प्रयोक्ताओं की ग्राहक-विशिष्ट गुणवत्ता और तकनीकी आवश्यकताएं हैं। एटी एंड एस ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसके पीसीबी उत्पादन का एक बड़ा भाग निर्यात किया जाता है और आवश्यक आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। अतः उसने अनुरोध किया है कि अंतिम निर्धारण में उपलब्धता, आपूर्ति स्रोत बदलने संबंधी बाधाओं और डाउनस्ट्रीम जनहित को ध्यान में रखा जाए।

ट.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

प्राधिकारी द्वारा प्रकट निष्कर्षों की पुष्टि का अनुरोध

123. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे, घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता, गोपनीयता, विविध मुद्दों, क्षति और कारणात्मक संबंध, गैर-आरोपण तथा प्रभाव आकलन से संबंधित निष्कर्षों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है, जो उसके द्वारा प्रकटन के बाद उठाए गए विशिष्ट मुद्दों के अधीन है।

पीसीबी विनिर्माण में प्रयुक्त आयातों के लिए उपलब्ध मूल सीमा शुल्क छूट

124. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 25/99-Customs की क्रम सं. 125 में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुद्रित सर्किट बोर्डों के विनिर्माण में उपयोग हेतु आयात किए जाने वाले सॉलिड कार्बाइड ड्रिल्स और राउटर्स शामिल हैं तथा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन मूल सीमा शुल्क की शून्य दर प्रदान की गई है। इसलिए घरेलू उद्योग ने जहां यह छूट लागू हो, वहां उतराई मूल्य की पुनः जांच करने का अनुरोध किया है और तर्क दिया है कि उतराई मूल्य कम होने से कीमत कटौती और क्षति मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं।

केमर के स्वयं-विनिर्मित और व्यापारित वस्तुओं के निर्यात का पृथक्करण

125. घरेलू उद्योग ने केमर द्वारा विनिर्मित वस्तुओं और किसी असंबद्ध चीनी उत्पादक से प्राप्त करके केमर द्वारा व्यापारित बताई गई वस्तुओं के बीच किए गए पृथक्करण को चुनौती दी है। उसने केमर के उत्पाद ब्रोशर में दिए गए उत्पाद विवरणों और कोडिंग तथा अपने लेन-देन-वार विश्लेषण पर भरोसा करते हुए दावा किया है कि आयात विवरण केमर की वाणिज्यिक कोडिंग प्रणाली के अनुरूप हैं। उसने यह भी कहा है कि आयात आंकड़ों में छह पीसीएन दिखाई देते हैं, जबकि केमर के लिए प्रकट व्यक्तिगत निर्धारण में तीन पीसीएन शामिल हैं। इस आधार पर घरेलू उद्योग ने निर्यात लेन-देन में उत्पादक की पहचान, पता लगाने की क्षमता और पीसीएन मिलान की पुनः जांच का अनुरोध किया है तथा केमर के लिए निर्धारित ऋणात्मक पाटन और क्षति मार्जिन पर आपत्ति की है।

पाटनरोधी शुल्क का स्वरूप

126. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यदि शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो उसे प्रति पीस निश्चित राशि के बजाय यथामूल्य आधार पर व्यक्त किया जाए। उसने प्रस्तुत किया है कि पीसीबी ड्रिल्स और राउटर्स में अनेक पीसीएन शामिल हैं, जिनके विनिर्देशों, लागतों और कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। यथामूल्य उपाय से कम कीमत वाले उत्पादों पर अनुपातहीन शुल्क भार तथा अधिक कीमत वाले उत्पादों पर अपर्याप्त शुल्क भार से बचा जा सकेगा।

उत्पादक की पहचान और व्यक्तिगत शून्य दर के दुरुपयोग की रोकथाम

127. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यदि केमर को व्यक्तिगत शून्य दर दी जाती है, जबकि अन्य उत्पादक/निर्यातक अवशिष्ट शुल्क के अधीन हैं, तो भाग न लेने वाले उत्पादकों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं को उसके माध्यम से भेजकर उस दर का दुरुपयोग होने से रोका जाना चाहिए। उसने प्रत्येक खेप के लिए उत्पादक की पहचान संबंधी आवश्यकता निर्धारित करने का अनुरोध किया है, जिसमें वस्तुओं के वास्तविक उत्पादक की पहचान करने वाली घोषणा भी शामिल हो, ताकि सीमा शुल्क प्राधिकारी उत्पादक-विशिष्ट सही दर लागू कर सकें।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

प्रकटन-पश्चात जांच में विशेष रूप से संशोधित न किए गए निष्कर्ष

128. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, केमर और एटी एंड एस द्वारा दाखिल प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों पर अभिलेख में पहले से उपलब्ध सूचना के साथ विचार किया है। नीचे विशेष रूप से जांच किए गए मुद्दों को छोड़कर, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे, घरेलू उद्योग और पात्रता, गोपनीयता, असहयोगी पक्षकारों के साथ व्यवहार, वास्तविक क्षति, कारणात्मक संबंध और जनहित के संबंध में ऊपर दर्ज निर्धारणों की पुष्टि करता है। प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में आगे संबोधित विशिष्ट मुद्दों से परे इन निर्धारणों को पुनः खोलने का कोई आधार सामने नहीं आया है।

मूल सीमा शुल्क छूट और उतराई मूल्य

129. प्राधिकारी नोट करता है कि अधिसूचना सं. 25/99-Customs की क्रम सं. 125 में मुद्रित सर्किट बोर्डों के विनिर्माण में प्रयुक्त सॉलिड कार्बाइड ड्रिल्स और राउटर्स शामिल हैं। तथापि, यह प्रविष्टि विनिर्दिष्ट टैरिफ अध्यायों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को कवर करती है, जिनमें अध्याय 82 शामिल नहीं है; वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण अध्याय 82 के अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह छूट निर्धारित अंतिम-उपयोग और प्रक्रियात्मक शर्तों के अधीन है। इसलिए केवल अधिसूचना में ड्रिल्स और राउटर्स का उल्लेख होने से यह स्थापित नहीं होता कि विचाराधीन उत्पाद के सभी आयात मूल सीमा शुल्क की शून्य दर के पात्र हैं।
130. हितबद्ध पक्षकारों ने लेन-देन-वार आयात अभिलेखों के माध्यम से यह स्थापित नहीं किया है कि क्षति विश्लेषण में विचार किए गए संबद्ध आयात उक्त छूट के पात्र थे और वास्तव में इसी छूट के अंतर्गत सीमा शुल्क निकासी की गई थी। तदनुसार, प्राधिकारी केवल अधिसूचना के आधार पर संपूर्ण आयात मात्रा पर शून्य मूल सीमा शुल्क लागू करना उचित नहीं मानता है। इसलिए इस आधार पर उतराई मूल्य के निर्धारण में परिवर्तन नहीं किया गया है। इससे ऐसी किसी व्यक्तिगत खेप का सीमा शुल्क संबंधी व्यवहार प्रभावित नहीं होता, जो लागू विधिक आवश्यकताओं को पूरा करती है।

केमर का सहयोग, उत्पादक-वार पृथक्करण और व्यक्तिगत मार्जिन

131. प्राधिकारी पुष्टि करता है कि केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड एक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक है। उसके निर्यातक प्रश्नावली उत्तर और पूरक सूचना की उसके व्यक्तिगत निर्धारण के प्रयोजन से जांच की गई है। व्यक्तिगत दर की उत्पादक-विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप, जांच अभिलेख में केमर द्वारा विनिर्मित तथा भारत को निर्यातित के रूप में पहचाने गए केवल *** पीस को उसके व्यक्तिगत निर्यात मूल्य और उतराई मूल्य के निर्धारण में शामिल किया गया है। किसी अन्य उत्पादक द्वारा विनिर्मित और केवल केमर द्वारा निर्यातित अथवा व्यापारित वस्तुओं को केमर की व्यक्तिगत दर का लाभ नहीं मिलता तथा वे अवशिष्ट श्रेणी में आती हैं।
132. प्राधिकारी ने केमर के उत्पाद कोड और विवरणों के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुति की जांच की है। किसी उत्पाद कोड या विवरण का मेल अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि वस्तुओं का विनिर्माण केमर ने किया था। प्रश्नावली उत्तर और लेन-देन संबंधी अभिलेखों के आधार पर विनिर्माता की पहचान की गई है। प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियां प्राधिकारी द्वारा पहले से अपनाए गए व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराती हैं।
133. अतः प्राधिकारी केमर के स्वयं-विनिर्मित निर्यातों में शामिल तीन पीसीएन, अर्थात् पीसीडीबीयूसी, पीसीडीसीयूसी और पीसीडीयूसी के संबंध में उसके व्यक्तिगत निर्धारण की पुष्टि करता है। भारित औसत निवल निर्यात मूल्य और उतराई मूल्य ऊपर किए गए निर्धारण के अनुसार यथावत हैं। केमर का पाटन मार्जिन और क्षति

मार्जिन ऋणात्मक बने हुए हैं। इसलिए केमर द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के पात्र निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है। चूंकि अंतिम निर्धारण में केमर के लिए कोई महत्वपूर्ण रूप से भिन्न प्रतिकूल तथ्यात्मक आधार या पद्धति नहीं अपनाई गई है, इसलिए पुनः प्रकटन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।

134. प्राधिकारी नियम 14 पर केमर द्वारा किए गए भरोसे को भी नोट करता है। चूंकि केमर के लिए निर्धारित व्यक्तिगत पाटन मार्जिन ऋणात्मक है, इसलिए उसके पात्र निर्यातों पर किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है। तथापि, देश-व्यापी जांच में अन्य उत्पादक/निर्यातक भी शामिल हैं, जिनके पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं; उन उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्धारण नीचे दी गई शुल्क संबंधी सिफारिश में अलग से किया गया है।

अनुकूल मात्रा संकेतकों के बावजूद वास्तविक क्षति

135. प्राधिकारी ने उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी, रोजगार और मजदूरी में सुधार को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा है। ये अनुकूल संकेतक हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया है। तथापि, अनुबंध-II में सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों का समग्र मूल्यांकन अपेक्षित है और वास्तविक क्षति का निष्कर्ष निकालने के लिए प्रत्येक संकेतक में गिरावट होना अनिवार्य शर्त नहीं है।
136. जांच अवधि में घरेलू उद्योग को कीमत और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना जारी रहा। संबद्ध आयातों का उतराई मूल्य घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम रहा; कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण थी; बिक्री लागत आधार वर्ष के स्तर से लगभग ***% अधिक थी, जबकि बिक्री कीमत केवल लगभग ***% अधिक थी; और घरेलू उद्योग घाटे में रहा, उसका नकद लाभ ऋणात्मक था तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक था। इसलिए अनुकूल मात्रा संकेतक स्थापित प्रतिकूल कीमत प्रभावों और वित्तीय क्षति को निष्प्रभावी नहीं करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ऊपर दर्ज वास्तविक क्षति के निष्कर्ष की पुष्टि करता है।

मांग-आपूर्ति अंतर, तकनीकी आवश्यकताएं और जनहित

137. प्राधिकारी पुनः स्पष्ट करता है कि मांग-आपूर्ति अंतर अपने आप पाटन, क्षति या कारणात्मक संबंध को नकारता नहीं है और पाटनरोधी शुल्क आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अभिलेख दर्शाता है कि जांच अवधि में आवेदक के पास लगभग *** लाख पीस की अप्रयुक्त क्षमता थी और भारत में एक अन्य उत्पादक भी मौजूद है। प्राधिकारी ने एटी एंड एस की तकनीकी अर्हता और आपूर्ति स्रोत से संबंधित चिंताओं पर भी विचार किया है; तथापि, अभिलेख में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट पीसीएन या विनिर्देश स्थापित नहीं हुआ है जो भारतीय उत्पादकों से सामान्यतः उपलब्ध न हो, और एटी एंड एस ने स्वयं जांच अवधि में भारतीय स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद खरीदा था।
138. उपाय के स्वरूप और स्तर पर डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के दृष्टिकोण से भी विचार किया गया है। सीआईएफ के 17% की अवशिष्ट यथामूल्य दर पर, यदि यह मान लिया जाए कि एटी एंड एस की जांच अवधि की संपूर्ण खपत जांच अवधि की औसत सीआईएफ कीमत पर अवशिष्ट दर के अधीन होगी, तो उसका ऊपरी-सीमा का अंकगणितीय प्रभाव लगभग ₹32.20 मिलियन होगा, जो उसकी कुल पीसीबी उत्पादन लागत के लगभग 0.74% के बराबर है। यह एक सतर्क उदाहरण है, क्योंकि घरेलू खरीद और केमर से शून्य दर पर पात्र आयातों पर अवशिष्ट शुल्क का भार नहीं पड़ेगा। इसलिए प्राधिकारी पुष्टि करता है कि उपयुक्त रूप से निर्धारित उपाय से डाउनस्ट्रीम पीसीबी उद्योग पर अनुपातहीन भार पड़ना अथवा उसका जनहित के प्रतिकूल होना प्रदर्शित नहीं हुआ है।

शुल्क का यथामूल्य स्वरूप

139. प्राधिकारी उपाय के स्वरूप के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध को स्वीकार करता है। विचाराधीन उत्पाद में अनेक पीसीएन के अंतर्गत पीसीबी ड्रिल्स और पीसीबी राउटर्स शामिल हैं, जिनके विनिर्देशों और कीमत स्तरों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। इन परिस्थितियों में प्रति पीस समान निश्चित राशि की तुलना में शुल्क को सीआईएफ मूल्य के

प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने से कम और अधिक कीमत वाले प्रकारों पर अधिक आनुपातिक शुल्क भार बना रहता है। इसलिए कमतर शुल्क नियम के अधीन अंतिम शुल्क की सिफारिश यथामूल्य आधार पर की जाती है।

उत्पादक की पहचान संबंधी सुरक्षा उपाय और केमर का सही नाम

140. प्राधिकारी व्यक्तिगत शून्य दर के दुरुपयोग संबंधी चिंता को प्रासंगिक मानता है, क्योंकि यह दर उत्पादक-विशिष्ट है। इन निष्कर्षों में पृथक उद्गम प्रमाण-पत्र की आवश्यकता बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्गम संबंधी दस्तावेज लागू सीमा शुल्क कानून द्वारा विनियमित होते हैं। तथापि, व्यक्तिगत शून्य दर का लाभ वास्तविक उत्पादक की पहचान करने वाले और शुल्क तालिका के नीचे विनिर्दिष्ट उत्पादक घोषणा वाले वैध वाणिज्यिक चालान की प्रस्तुति पर निर्भर होगा। जहां ऐसी घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती, अथवा वस्तुओं का विनिर्माण केमर के अतिरिक्त किसी अन्य उत्पादक द्वारा किया जाता है, वहां अवशिष्ट शुल्क लागू होगा।
141. प्राधिकारी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक का सही नाम “केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड” भी दर्ज करता है और शुल्क तालिका में इसी नाम का उपयोग किया गया है।

ड. निष्कर्ष

142. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, की गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और ऊपर दर्ज विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:
- विचाराधीन उत्पाद “प्रीटेड सर्किट बोर्ड टूल्स” है, अर्थात् ऊपर निर्धारित दायरे और पीसीएन पद्धति वाले पीसीबी ड्रिल्स और पीसीबी राउटर्स, जो चीन जन. गण. के मूल के हैं अथवा वहां से निर्यातित हैं।
 - इंड-स्फिक्स प्रिंसीजन लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
 - केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. का एकमात्र सहयोगी उत्पादक/निर्यातक है, जिसका व्यक्तिगत उत्तर निर्धारण के लिए स्वीकार किया गया है। उसका पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक हैं। तदनुसार, केमर द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के पात्र निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित नहीं है।
 - चीन जन. गण. के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण हैं। कमतर शुल्क नियम के अनुसार क्षति मार्जिन कम है और यही अवशिष्ट शुल्क की सिफारिश का आधार है।
 - घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी सहित कुछ मात्रा संकेतकों में सुधार दर्ज किया। साथ ही, संबद्ध आयात पर्याप्त मात्रा में बने रहे, कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण थी, क्षति अवधि के दौरान आयातों के उतराई मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट हुई, घरेलू कीमतों का दमन हुआ तथा घरेलू उद्योग घाटे में रहा, उसका नकद लाभ ऋणात्मक था और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक था।
 - प्राधिकारी ने मांग में वृद्धि, आयातक के आपूर्ति स्रोत संबंधी निर्णय, कर्मचारी लागत, निवल स्थिर परिसंपत्तियां, निर्यात प्रदर्शन, अन्य उत्पाद, प्रौद्योगिकी और तीसरे देशों से आयात सहित ज्ञात अन्य कारकों की जांच की है। ये कारक अभिलेख पर स्थापित प्रतिकूल कीमत प्रभावों और वितीय क्षति की व्याख्या नहीं करते हैं। इसलिए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

- vii. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि अनुशंसित उपाय से वस्तुओं की कमी उत्पन्न होगी अथवा डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर अनुपातहीन भार पड़ेगा। अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क के अधीन आयात उपलब्ध रहेंगे और अवशिष्ट दर पर भाग लेने वाले प्रयोक्ता पर परिमाणित ऊपरी-सीमा प्रभाव उसकी पीसीबी उत्पादन लागत का लगभग 0.74% है। इसलिए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि उपयुक्त रूप से निर्धारित पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के प्रतिकूल नहीं है।

ढ. सिफारिशें

143. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच शुरू की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और जनहित पर सूचना उपलब्ध कराने तथा प्रस्तुतियां देने का पर्याप्त अवसर दिया गया। प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा दाखिल प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों पर भी विचार किया है।
144. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तुएं पाटित हैं और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रही हैं, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम राशि के बराबर अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना आवश्यक मानता है। विचाराधीन उत्पाद में शामिल विभिन्न पीसीएन के विनिर्देशों और कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए शुल्क की सिफारिश यथामूल्य आधार पर की जाती है।
145. तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की वस्तुओं के आयात पर नीचे दी गई शुल्क तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और विधि के अनुसार पहले निरस्त, अधिक्रमित अथवा संशोधित किए जाने तक पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तुओं का विवरण*	मूल देश	निर्यात देश	उत्पादक	सीआईएफ के प्रतिशत के रूप में शुल्क
1	2	3	4	5	6	7
1	82075000, 82077090 और 82079090	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टूल्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	केमर प्रेज़िशन टूल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	शून्य
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	17%

क्र. सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तुओं का विवरण*	मूल देश	निर्यात देश	उत्पादक	सीआईएफ के प्रतिशत के रूप में शुल्क
1	2	3	4	5	6	7
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	17%

*पीयूसी केवल पीसीबी ड्रिल और पीसीबी राउटर तक सीमित है, जिनका शैंक व्यास मानकीकृत 3.175 मिमी आकार का है।

टिप्पणी – ऊपर उल्लिखित कंपनी के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लाभ सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा, जिस पर चालान जारी करने वाली संस्था के ऐसे अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा हो, जिसकी पहचान उसके नाम और पद से की गई हो। घोषणा निम्नलिखित रूप में होगी:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस चालान के अंतर्गत भारत को निर्यात हेतु बेची गई (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस चालान में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है।” यदि ऐसा चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों के लिए लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनाई जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

ण. आगे की प्रक्रिया

146. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकती है।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th September, 2026

CASE No. AD (OI) – 41/2025

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Printed Circuit Board Tools” originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND

F. No. 6/46/2025-DGTR .— Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘AD Rules’ or the ‘Rules’);

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application filed on behalf of the domestic industry by Ind-Sphinx Precision Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Printed Circuit Board Tools (hereinafter referred to as the “product under consideration”, “PUC”, “PCB Tools” or “subject goods”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”, with imports of the product under consideration from the subject country referred to as “subject imports”).
2. The Authority examined the application and found prima facie evidence that exports from the subject country were at dumped prices and that there was consequent injury to the domestic industry. Accordingly, pursuant to Rules 5 and 6 of the Rules, vide Notification F. No. 6/46/2025-DGTR dated 26th September 2025, the Authority initiated an investigation to examine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:

Initiation

4. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the Authority notified the government of China PR through its embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.
5. As noted above, upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rules 5 and 6, vide Notification F. No. 6/46/2025-DGTR dated 26th September 2025 (“Initiation Notification”), the Authority initiated the present proceedings.

Period of Investigation and Injury Period

6. As noted in the initiation notification, the period of investigation (POI) adopted by the Authority is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury investigation period covers the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the POI.

Import Data

7. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and the required analysis after due examination and segregation of the transactions, the product under consideration not being classified under a dedicated tariff line.

Circulation of non-confidential version of the application

8. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through their Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. The non-confidential version of the application was made available to all interested parties vide email dated 7th October 2025.

Participation by Exporters of Subject Country

9. The Authority sent exporter's questionnaire to the known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
10. The Authority sent questionnaires to the government of the subject country through its embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers of the subject goods in China PR and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. The following producer/exporter has registered themselves as an interested party in these proceedings and has filed an exporter's questionnaire response:

SN	Producer/Exporter	Volume of exports to India in the POI (Pcs)
1.	Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd.	***

Participation by Importers/Users

11. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules. The following importers/users have registered themselves as interested parties in the present proceedings:

SN	Importer/User	Response filed
1.	AT&S India Private Limited	User Questionnaire Response and Economic Interest Questionnaire response
2.	Sensation Systems	None

Registered Interested Parties

12. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website of the Authority on 20th November 2025. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all the other interested parties.

Economic Interest Questionnaire

13. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassy of the subject country, all the known exporters/producers, importers/users, the domestic industry as well as the other known producers in India. Responses to the Economic Interest Questionnaire have been filed by the domestic industry, by Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. and by AT&S India Private Limited.

Oral Hearing

14. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 5th August 2026. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions by 10th August 2026, followed by rejoinder submissions by 15th August 2026. Written submissions have been filed by the domestic industry, by Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. and by AT&S India Private Limited.

Further Procedures

15. In the Initiation Notification, the interested parties were directed to file their comments on the scope of the product under consideration ('product scope') and the PCN methodology within 15 days of receipt of intimation of the initiation of the investigation, which period ended on 22nd October 2025. The applicant filed comments vide its submission dated 28th October 2025. After consideration of the submissions filed, the Authority notified a revised product scope and PCN methodology vide its notice dated 3rd November 2025. Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. filed its comments on the revised methodology vide submission dated 6th November 2025. After considering those comments and the concurrence of the domestic industry thereto, the Authority notified the final product scope and PCN methodology vide its notice dated 1st December 2025, which was notified on the website of the DGTR.
16. The Authority sought supplementary information from the cooperating parties. Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. furnished additional information concerning its sales channels, its self-manufactured exports and the computation of its net export price and landed value vide its response dated 10th April 2026.

17. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the applicant and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
18. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
19. The Authority examined the issues raised, information provided and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present investigation, in preparing these final findings.
20. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings based on the facts available.
21. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on a confidential basis.
22. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present final findings to the extent possible, and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
23. A disclosure statement dated 17.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.
24. ‘****’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
25. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.

Source: <https://foservices.icagate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions of the other interested parties

26. The other interested parties submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration, like article and PCN methodology:
 - i. AT&S India Private Limited (“AT&S”) and Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. (“Kemmer”) have submitted that since the applicant also produces PCB tools outside the PUC, they requested the Authority to verify that production, sales, costs and profitability relating to the PUC have been properly separated from those relating to non-PUC products.
 - ii. It has accordingly been submitted that the Authority must verify whether the applicant has accurately isolated PUC-specific production, sales and other information, and has appropriately allocated costs and profitability as between the PUC and the non-PUC.
 - iii. Kemmer objected to the earlier flute-diameter band of 0.20–1.74 mm, stating that it combined micro-drills up to 0.50 mm with standard drills above 0.50 mm. According to Kemmer, these products differ in manufacturing process, raw-material use, cost and selling price. Combining them under one PCN could therefore affect the dumping and injury margins. Kemmer supported its claim with sample invoices and proposed a nine-band structure for PCB drills.

- iv. No interested party sought exclusion of PCB drills, PCB routers or any PCN from the final scope notified on 1st December 2025. AT&S also accepted that the product manufactured by the domestic industry is a like article to the imported product. However, AT&S submitted that its HDI PCB production requires tools meeting very strict technical specifications, particularly for applications involving very small microvias, and claimed that the domestic industry is unable to supply tools meeting these specific requirements.

C.2 Submissions of the domestic industry

27. The domestic industry has submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration comprises PCB drills and PCB routers with a standardised shank diameter of 3.175 mm. PCB drills are precision tools engineered to create holes enabling mechanical and electrical interconnection across multiple layers of a printed circuit board, with sizes typically ranging from 0.20 mm to 7.50 mm in diameter. PCB routers are precision tools used to shape the substrate by cutting slots or defining the board outline without creating through-holes, with bit diameters generally ranging from 0.50 mm to 3.175 mm.
 - ii. No interested party has raised any objection to the scope of the product under consideration as defined in the initiation notification. The scope of the PUC is therefore undisputed and settled for the purposes of the present investigation.
 - iii. With respect to the PCN methodology, the applicant filed a revised methodology vide its submission dated 28th October 2025. The Authority revised the methodology on 3rd November 2025 and, after considering the comments of Kemmer and the concurrence of the applicant, finalised the methodology on 1st December 2025. The methodology has therefore attained finality and the applicant has no further comments in that regard.
 - iv. There is no known difference between the subject goods produced by the domestic industry and those exported from the subject country. The two are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification; they are technically and commercially substitutable; and consumers have used and are using the two interchangeably.

C.3 Examination by the Authority

28. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“The product under consideration in the present application is ‘Printed Circuit Board (“PCB”) tools’ namely PCB drill and PCB router. PCB drill and PCB router are also known as PCB drill bits and PCB router bits respectively. The PUC is limited to PCB drill and PCB router with a shank diameter of standardized size of 3.175 mm. The term shank diameter refers to the thickness of the cylindrical portion of the tool. The shank portion of the tool is clamped to the machining apparatus, ensuring compatibility with standard collets and spindles used in PCB manufacturing equipment.”
29. The product under consideration is classifiable under Chapter 82 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, titled “Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal”, under tariff items 82075000, 82077090 and 82079090. The customs classification is only indicative and is not binding upon the scope of the product under consideration.
30. The Initiation Notification invited all interested parties to file their comments on the product scope and PCN methodology within the prescribed timeline. The Authority notes that no interested party has, at any stage of the present investigation, sought any exclusion from, or any modification of, the scope of the product under consideration so defined. The Authority accordingly adopts the same scope of the PUC as notified in the Initiation Notification, without any change.
31. As regards the PCN methodology, the Authority notes that the methodology was settled through a sequential process in which every interested party had an effective opportunity to be heard. The methodology notified at the stage of initiation comprised a single parameter, namely the type of PCB tool. Comments were invited from all interested parties and were received only from the applicant. A revised methodology introducing flute diameter ranges and coating status was notified on 3rd November 2025. Kemmer thereafter sought bifurcation of the 0.20 mm to 1.74 mm band; the domestic industry concurred; and the Authority accepted the request in its entirety and notified the final methodology on 1st December 2025. The final PCN methodology comprises three parameters, namely the type of PCB tool, the flute diameter range and the coating status, as under:

Parameter-1	Parameter-2		Parameter-3	PCN Code	
PCB DRILL	Flute diameter in mm	PCN Code	Coated/Uncoated	If coated	If uncoated
PCBD	< 0.20	A	CC/UC	PCDACC	PCDAUC
PCBD	0.20 to 0.50	B	CC/UC	PCDBCC	PCDBUC
PCBD	0.51 to 1.74	C	CC/UC	PCDCCC	PCDCUC
PCBD	1.75 to 3.54	D	CC/UC	PCDDCC	PCDDUC
PCBD	3.55 to 4.54	E	CC/UC	PCDECC	PCDEUC
PCBD	4.55 to 5.54	F	CC/UC	PCDFCC	PCDFUC
PCBD	5.55 to 6.54	G	CC/UC	PCDGCC	PCDGUC
PCBD	6.55 to 7.00	H	CC/UC	PCDHCC	PCDHUC
PCBD	> 7.00	I	CC/UC	PCDICC	PCDIUC

Illustratively, the PCN for a PCB drill of flute diameter 1.80 mm, with coating, is "PCDDCC".

Parameter-1	Parameter-2		Parameter-3	PCN Code	
PCB ROUTER	Flute diameter in mm	PCN Code	Coated/Uncoated	If coated	If uncoated
PCBR	< 0.80	A	CC/UC	PCBRACC	PCBRAUC
PCBR	0.800 to 3.175	B	CC/UC	PCBRBCC	PCBRBUC
PCBR	> 3.175	C	CC/UC	PCBRCCC	PCBRCUC

Illustratively, the PCN for a PCB router of flute diameter 1.90 mm, with coating, is "PCBRBCC". In the drill codes, the string "PCD" denotes a PCB drill, which appears as "PCBD" in the Parameter-1 column.

32. The Authority notes that Rule 2(d) of the Rules defines "like article" as an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation or, in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.
33. The Authority notes that the import data does not clearly show whether the imported PCB tools are coated or uncoated. Therefore, for the import analysis, all imported tools have been treated as uncoated. This is a conservative approach because coated tools have higher costs and a higher non-injurious price. Treating all imports as uncoated therefore avoids overstating the injury margin.
34. The Authority agrees that injury must be assessed only with reference to the product under consideration. Accordingly, the production, sales, costs and financial data have been examined on a PUC-specific basis, and only costs attributable to the PUC have been considered for determination of the non-injurious price.
35. With regard to the like article, the Authority notes that the claim of the applicant that there is no known difference between the subject goods produced by it and those exported from the subject country has not been contested by any interested party; that AT&S, the principal user and importer, has itself acknowledged the domestic product to be a like article. However, AT&S has raised concerns regarding certain technical requirements for high-end and HDI applications, no specific PCN or product specification has been established on record as being unavailable from the domestic industry. The two are comparable in terms of essential product characteristics, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classification, and are technically and commercially substitutable. The Authority accordingly holds that the subject goods produced by the domestic industry are a like article to the subject goods imported from the subject country within the meaning of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties

36. No interested party has raised a substantiated objection to the eligibility of Ind-Sphinx Precision Limited to be treated as the domestic industry, or to the standing of the application. The only request made by AT&S and Kemmer in this connection is that the production and financial data relied upon for the injury determination should be confined to the product under consideration, which has been dealt with in relevant paras above.

D.2 Submissions made by the domestic industry

37. The domestic industry has submitted as follows:

- i. Ind-Sphinx Precision Limited is a major producer of the product under consideration in India. There is one other known Indian producer, namely CTC India Pvt. Ltd., whose production and capacity details have been placed on record in the application.
- ii. The applicant accounted for approximately ***% of the total Indian production of the subject goods during the period of investigation.
- iii. The applicant has neither imported the product under consideration from the subject country, nor is it related to any exporter or producer of the product under consideration in the subject country or to any importer thereof in India. It therefore satisfies the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules. The standing of the applicant has not been disputed by any interested party and may accordingly be accepted.

D.3 Examination by the Authority

38. Rule 2(b) of the Rules defines the “domestic industry” as the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith, or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof.
39. The Authority has examined the production of the applicant and of the other known Indian producer over the injury period. The relevant information is as below:

SN	Producer	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Ind-Sphinx Precision Limited	Pcs	***	***	***	***
2	CTC India Pvt. Ltd. (estimated)	Pcs	***	***	***	***
3	Total Indian production	Pcs	***	***	***	***
4	Share of the applicant	%	***	***	***	***

40. It is seen that the applicant accounted for approximately ***% of the total Indian production of the product under consideration during the period of investigation. The Authority further notes that the applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or to any importer thereof in India, and that none of these facts has been disputed by any interested party.
41. The Authority accordingly holds that Ind-Sphinx Precision Limited constitutes the “domestic industry” within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by the other interested parties

- i. Kemmer submitted that the non-confidential version of the domestic industry’s submission proposing the revised PCN structure was not available to it before the PCN methodology was revised on 3rd November 2025, and that it therefore could not offer its comments at that stage.
- ii. The participating parties have claimed confidentiality in respect of transaction-wise prices, customer identities, costs, profitability, commercial terms and other business-sensitive information.

E.2 Submissions made by the domestic industry

- i. The domestic industry has objected to the extent of confidentiality claimed by AT&S in its user questionnaire response and, at an earlier stage, to the non-availability of the economic interest questionnaire response of AT&S. It has submitted that information concerning the production process, cost trends and the quantification of downstream impact ought to be meaningfully summarised in the non-confidential version.

E.3 Examination by the Authority

- i. The Authority has examined the confidentiality claims under Rule 7 of the Rules. Commercially sensitive information, such as transaction details, costs, customer details and profitability, has been kept confidential where justified. At the same time, parties have been required to provide non-confidential summaries, wherever possible, for the public record.
- ii. With regard to Kemmer’s concern, the Authority notes that interested parties are required to circulate non-confidential versions of their submissions. Kemmer was, however, given an opportunity to comment on the revised PCN methodology after it was notified on 3rd November 2025. Its comments were considered, and the change sought by Kemmer was accepted in the final PCN methodology notified on 1st December 2025.

- iii. As regards the objection of the domestic industry, AT&S has filed both the User Questionnaire Response and the Economic Interest Questionnaire Response. Its consumption and cost information has been considered in the impact assessment. The Authority further notes that a response cannot be rejected only because some commercially sensitive information has been kept confidential. However, unsupported claims have not been relied upon, and all parties are required to circulate the non-confidential versions of their submissions.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1 Submissions by the other interested parties

- i. Kemmer has submitted that its exporter questionnaire response, discloses two distinct channels through which the subject goods were exported to India during the period of investigation. The first comprises subject goods manufactured by Kemmer itself and supplied directly to unrelated customers in India. The second comprises subject goods purchased from another unrelated producer in the subject country and resold to customers in India, in respect of which Kemmer functions merely as a trader and in respect of which the producer concerned has not participated in the investigation. Kemmer has submitted that only the first channel should be considered for the determination of its export price and landed value.
- ii. Kemmer has relied upon the final findings dated 14th March 2022 in the sunset review concerning imports of Aluminium Foil from China PR, in which the Authority took into account only those export transactions which were manufactured by the cooperating producer for the purpose of determining its ex-factory export price and landed value.
- iii. AT&S and Kemmer have submitted that the application itself records that the domestic industry has the capacity to meet only approximately ****% to ***% of Indian demand, which confirms that imports are required to meet the balance; that imports from China PR have increased commensurately with, and in fact by less than, the increase in demand; and that the existence of substantial imports is not by itself evidence of injurious dumping where a significant part of those imports fills an admitted demand-supply gap.
- iv. AT&S has further submitted that it purchases the product under consideration from the domestic industry as well as importing it, that imports are necessary because the domestic industry has neither sufficient capacity nor the ability to meet its quality requirements and specific technical specifications, and that its HDI production requires tools of a specification which the domestic industry cannot supply.

F.2 Submissions by the domestic industry

- i. The domestic industry has submitted that Sensation Systems only registered as an interested party but did not file the User Questionnaire Response, Economic Interest Questionnaire Response or any supporting information. Relying on *Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority*, it has submitted that mere registration is not sufficient and that an importer must establish its status by furnishing the required questionnaire information under Rule 2(c).
- ii. The domestic industry has submitted, vide its letter dated 29th November 2025 and in its post-hearing written submissions, that anti-dumping duty in India is imposed upon the producer and not upon the trader or exporter; that the transactions of the second channel do not reflect Kemmer's production costs, pricing decisions or export behaviour; that the producer from whom the goods were procured has not cooperated; and that such transactions should therefore fall within the residual or non-cooperative universe.
- iii. The domestic industry has submitted that the existence of a demand-supply gap is not a defence to dumping; that it holds available and unutilised capacity; that it has in fact supplied AT&S during the period of investigation; that it is capable of expanding production under fair market conditions; and that the imposition of anti-dumping duty does not restrict imports and addresses only unfair pricing.

F.3 Examination by the Authority

Participation of an importer which has not filed a questionnaire response

42. The Authority notes that Sensation Systems has not filed any questionnaire response, has not responded to the economic interest questionnaire, and has not made any written or oral submission at any stage of the present investigation. No submission of that party is therefore on record which requires to be dealt with in these final findings. The Authority nonetheless holds the settled position that an entity seeking to participate as an interested party must establish its status by furnishing the information called for in the applicable questionnaire, and that where such information is not furnished, the Authority is entitled, in terms of Rule 6(8), to record its findings on the basis of the facts available.

Treatment of exports of goods not manufactured by the cooperating exporter

43. The Authority notes that there is no dispute between the parties on this issue. It is the settled practice of the Authority to determine an individual dumping margin, and consequently an individual duty, in respect of a specific producer-exporter combination, and goods produced by a producer which has not participated in the investigation cannot take the benefit of an individual margin determined for a cooperating producer merely because they have been routed through that cooperating exporter. Any other approach would permit the residual duty to be circumvented.
44. The Authority has accordingly determined the net export price, landed value, dumping margin and injury margin in respect of Kemmer solely on the basis of the *** pieces of subject goods produced by Kemmer itself and exported by it to India during the period of investigation. The subject goods produced by any other producer in the subject country and exported by Kemmer to India fall within the residual or non-cooperative category.

Demand-supply gap and user-specific technical requirements

45. The Authority notes that the existence of a demand-supply gap does not, by itself, negate either dumping or material injury. Neither the Act nor the Rules requires a domestic industry to be capable of supplying the entirety of domestic demand as a condition of relief; the relevant inquiry is whether imports are dumped and whether such dumped imports are causing material injury to the domestic industry. The Authority further notes that the applicant held installed capacity of *** pieces against production of *** pieces in the period of investigation, leaving approximately *** pieces of unutilised capacity, and that a second Indian producer is also present in the market. The submission is therefore relevant to the assessment of economic interest and public interest, and has been examined in that context in the relevant paragraphs below, but it does not displace the determination of dumping, injury or causal link.
46. As regards the technical and HDI-related submissions of AT&S, the Authority notes that AT&S has itself acknowledged the domestic product to be a like article and made domestic purchases during the period of investigation, and that no PCN-specific exclusion request supported by evidence establishing that a defined product type is not produced by or cannot be supplied by the domestic industry has been substantiated. The Authority therefore decides not to alter the scope of the product under consideration on this ground.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN**G.1 Submissions made by the other interested parties**

- i. Kemmer submitted that it has fully cooperated in the investigation and filed the required exporter questionnaire response. It has therefore requested that its normal value, export price, landed value, dumping margin and injury margin be determined separately on the basis of its own verified information, and that any duty applicable to it should be based on its individual margins. AT&S has supported this request and submitted that a cooperating producer should not be subjected to the residual duty applicable to non-cooperating producers where its own margins are not positive.
- ii. Kemmer has stated that it is not claiming market economy status. Accordingly, it has not sought determination of normal value on the basis of its domestic selling prices in China PR.
- iii. Kemmer submitted that its exports to India were made directly to unrelated customers on an ex-works basis. For determining the net export price, credit cost and bank charges were deducted from the invoice value. For determining the landed value, inland freight, port expenses, ocean freight and insurance were added to arrive at the CIF price, followed by basic customs duty and applicable social welfare surcharge.

G.2 Submissions made by the domestic industry

- i. China PR should be treated as a non-market economy country in terms of paragraph 8 of Annexure I to the Rules, and the producers and exporters from China PR should be called upon to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the like article. Unless they do so, the normal value must be determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules.
- ii. The applicant attempted to obtain information relating to the cost and price of the product under consideration in a market economy third country but was unable to do so, as such information is not available in the public domain. The normal value has therefore been claimed on the basis of the cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and a reasonable profit margin, in terms of the third methodology contemplated in paragraph 7 of Annexure I of the Rules.
- iii. The domestic industry has claimed that the dumping margin in respect of subject country is positive and significant.

- iv. The domestic industry has submitted that exports made by Kemmer of goods manufactured by an unrelated non-participating producer should not form part of Kemmer's individual export price determination and should instead fall within the residual or non-cooperative universe.

G.3 Examination by the Authority

47. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory. Paragraph 8 of Annexure I to the Rules provides that in the case of imports from non-market economy countries the normal value shall be determined on the basis provided in paragraph 7 of that Annexure. China PR has been treated as a non-market economy country in terms of paragraph 8(2), subject to rebuttal by the responding producers and exporters in accordance with paragraph 8(3).
48. The Authority notes that the following producer/exporter of the subject goods has filed an exporter's questionnaire response and has cooperated in the present investigation:
- i. Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. (producer and exporter).
49. No other producer or exporter from the subject country has filed an exporter's questionnaire response or otherwise cooperated in the present investigation, notwithstanding that the initiation notification and the exporter's questionnaire were sent to the known producers and exporters and to the embassy of the subject country in India.

G.3.1 Determination of Normal Value

50. The initiation notification called upon the producers and exporters from the subject country to demonstrate, in the format prescribed, that market economy conditions prevail in the industry producing the like article in respect of the production and sale of the product under consideration. Kemmer, the only participating producer and exporter, has expressly stated that it is not claiming market economy status. No other producer or exporter from the subject country has filed a market economy treatment claim or any rebuttal of the presumption under paragraph 8(2). The normal value in respect of the subject country is therefore required to be determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I, which reads as follows:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin..."

51. The Authority has examined the alternatives available under paragraph 7 of Annexure I for determination of normal value. First, no interested party, including the domestic industry, has furnished reliable information regarding the price or constructed value of the like article in an appropriate market economy third country. Therefore, the first option could not be applied. Second, the Authority examined whether the price of the like article exported from an appropriate market economy third country to other countries, including India, could be used. However, publicly available trade databases such as Trade Map provide data at an aggregated tariff-line level and do not provide the investigation-specific PCN-wise information required in the present case. Since PCB tools are divided into several technical PCNs based on tool type, flute diameter and coating, such aggregate data would not permit a proper like-to-like comparison. The second option was therefore also not considered suitable. Accordingly, as the first two alternatives were not available in a reliable and usable form, the Authority has therefore proceeded on the third of the bases contemplated by paragraph 7, namely "any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin", and has constructed the normal value with reference to the cost to make and sell the like article in India, optimised in terms of the principles of Annexure III, with the addition of a reasonable profit.

G.3.2 Determination of Export Price

Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd.

52. Kemmer is a producer and exporter of the subject goods in China PR and has filed the exporter's questionnaire response together with a supplementary response dated 10th April 2026. It has exported the subject goods directly to unrelated customers in India on an ex-works basis. For the reasons recorded in relevant paras above, only the subject goods produced by Kemmer itself, being *** pieces, have been taken into account for its individual determination.
53. For arriving at the net export price at the ex-factory level, credit cost and bank charges have been deducted from the ex-works invoice value. For arriving at the landed value, inland freight, port and other expenses and

ocean freight and insurance have been added to the ex-works price to arrive at the CIF price, and basic customs duty together with social welfare surcharge thereof, has been added thereto. The adjustments claimed have been examined against the supporting records and have been allowed to the extent found admissible and verifiable. The PCN-wise position is as under:

PCN	Quantity (Pcs)	Invoice value (USD)	NEP (USD/Pc)	NEP (Rs/Pc)	CIF (USD/Pc)	Landed Value (USD/Pc)	Landed Value (Rs/Pc)
PCDBUC	***	***	***	***	***	***	***
PCDCUC	***	***	***	***	***	***	***
PCDDUC	***	***	***	***	***	***	***
Total	***	***	***	***	***	***	***

Non-cooperative producers/exporters

54. The normal value and export price for non-cooperative producers/exporters from China PR have been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules, using the transaction-wise import data obtained from DG Systems after excluding the transactions attributable to Kemmer.
55. The export price for the non-cooperative producers/exporters has been determined on the basis of the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

G.3.3 Dumping margin

56. Considering the normal value constructed as provided above, and the export price as determined, the normal value and the export price have been compared at the ex-factory level of trade. In the case of the cooperating producer/exporter, the comparison has been made between the constructed normal value for the product under consideration and its own weighted average net export price of USD ***per piece as reported in its questionnaire response and examined by the Authority. In the case of the non-cooperative producers/exporters, the comparison has been made with the ex-factory export price determined on the basis of the facts available.
57. The dumping margin so determined for the producers/exporters from the subject country is provided in the table below:

SN	Producers	Volume of exports (Pcs)	Normal Value (USD/Pc)	Export Price (USD/Pc)	Dumping Margin (USD/Pc)	Dumping Margin (%)	Range (%)
1	Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd.	***	***	***	***	***	(10-20)
2	Any other producer/exporter	***	***	***	***	***	30-40

58. The Authority accordingly notes that the dumping margin in respect of the subject goods produced by Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. is negative, and that in respect of all other producers and exporters from the subject country is positive and significant.

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions made by the other interested parties

59. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
- The interested parties submitted that the increase in imports from China PR largely followed the increase in demand and that imports declined in the POI from the 2023-24 level. They therefore argued that the POI does not show any fresh surge in imports.
 - They further submitted that the domestic industry's production, sales, capacity utilisation, market share and inventory position improved in the POI. Although the applicant remained loss-making, the movement in losses did not directly correspond either with import volumes or import prices, and therefore the financial deterioration could not be attributed solely to subject imports.
 - It was also submitted that other cost factors may have affected the domestic industry. Wages per employee and net fixed assets increased during the injury period without any increase in installed capacity. These

increases, according to the interested parties, should therefore be examined as possible non-import factors in the causal-link analysis.

- iv. AT&S submitted that, being a major importer of the PUC, the reduction in its PCB production led to lower imports of PCB tools during the POI. Therefore, the decline in imports may be attributable to lower user demand rather than to dumping-related factors.

H.2 Submissions made by the domestic industry

60. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:

- i. The domestic industry submitted that imports from China PR remain substantial and are well above the base-year level. Their share relative to Indian production increased from about ***% in the base year to about ***% in the POI, and subject imports continued to account for a major share of Indian demand.
- ii. It was submitted that the increase in Indian PCB production, following imposition of anti-dumping duty on certain bare PCBs in March 2024, increased demand for PCB tools and helped the applicant improve its production, sales and market share. The subsequent decline in imports and demand during the POI was stated to be largely due to lower PCB production and imports by AT&S. At the same time, imports by other users increased significantly compared with the base year.
- iii. The domestic industry submitted that subject imports were entering at prices substantially below its selling price and cost of production. Price undercutting and price underselling were stated to be significant, resulting in price suppression and depression in the domestic market.
- iv. The applicant stated that, despite improvement in certain volume indicators, its financial performance remained weak. It earned only marginal profit in the base year and suffered losses thereafter, with similar adverse trends in cash profit, PBIT and return on capital employed. It was submitted that the injury analysis must consider import volume, price effects and the resulting impact on the domestic industry on the basis of positive and objective evidence.
- v. It was further submitted that injury was not caused by other known factors. China PR accounted for the overwhelming majority of imports, while imports from other countries were limited and generally at higher prices. Demand increased over the injury period, export performance was separately examined, and no material injury was attributed to technological changes, trade restrictions, shortages of raw material or power, inadequate capacity, investment constraints or plant shutdowns.

H.3 Examination by the Authority

61. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.
62. The Authority has taken note of the various submissions made by the interested parties, including the domestic industry, and has analysed them considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

Assessment of demand/apparent consumption

63. The Authority has determined demand/apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry, the sales of the other Indian producer and imports from all sources.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Sales of domestic industry	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	121	118	163
2	Sales of other Indian producer	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	701	334	392
3	Imports from China PR	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	146	151	132
4	Imports from other countries	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	45	883	22
5	Total Demand/Consumption	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	149	224	139

64. It is seen that the demand for the subject goods increased from *** pieces in the base year to *** pieces in the POI, representing a growth of approximately ***% in indexed terms.
65. The Authority notes that the demand figure for 2023-24 is distorted by an exceptional volume of *** pieces recorded against Taiwan in that year alone, against *** pieces in 2022-23 and *** pieces in the POI. The Authority has therefore not treated the 2023-24 demand or market-share position as representative, and the trend analysis has been anchored to the comparison between the base year and the POI.
66. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The relevant information is as below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Imports from China PR	Pcs	68,99,618	1,00,73,147	1,04,30,398	91,26,189
	Trend	Indexed	100	146	151	132
2	Demand in India	Pcs	***	***	***	***
3	Indian production	Pcs	***	***	***	***
4	Subject imports in relation to:					
i	Demand in India	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	67	95
ii	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	149	233	171
iii	Total imports	%	85.09%	94.93%	49.40%	97.20%

67. It is seen that:
- Subject imports increased in absolute terms from 68,99,618 pieces in the base year to 91,26,189 pieces in the POI, an increase of approximately 32%.
 - In relation to Indian demand, the share of subject imports at ***% in the POI was marginally below the base-year share of ***%. In relation to Indian production, however, the share of subject imports increased materially, from ***% in the base year to ***% in the POI.
 - Subject imports accounted for 97.20% of total imports into India in the POI, as against 85.09% in the base year.
68. The Authority therefore holds that, notwithstanding the year-on-year moderation, subject imports remained a major source of supply in the Indian market and accounted for 56.01% of Indian demand in the POI. Subject imports also increased significantly in relation to Indian production. It is further noted that subject imports increased broadly with the growth in demand over the injury period.

Price effect of dumped imports on the domestic industry

69. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course.

Price undercutting

70. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. The landed value has been determined by adding basic customs duty to the assessable value reported in the transaction-wise import data.

Particulars	UOM	POI
Import volume	Pcs.	91,26,189
Net Selling Price	Rs/Pc	***
Landed Price	Rs/Pc	31.31
Price Undercutting	Rs/Pc	***
Price Undercutting	%	***
Price Undercutting	Range (%)	30-40

71. It is noted that the price undercutting is positive and significant.

Price suppression/depression

72. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices, the changes in the costs and prices over the injury period are examined as below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Cost of sales	Rs/Pc	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	110	135	117
2	Selling price	Rs/Pc	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	101	103	101
3	Landed Value from China PR	Rs/Pc	40.75	40.42	38.04	31.31
	Trend	Indexed	100	99	93	77

73. It is seen that:

- The cost of sales of the domestic industry increased from Rs. ***per piece (indexed 100) in the base year to Rs. *** per piece (indexed 117) in the POI.
- The selling price of the domestic industry increased only marginally, from Rs. *** per piece (indexed 100) to Rs. *** per piece (indexed 101) over the same period.
- The selling price of the domestic industry remained below its cost of sales in each of 2022-23, 2023-24 and the POI.
- The landed value of subject imports declined from Rs. 40.75 per piece to Rs. 31.31 per piece (indexed 77) and remained substantially below the domestic industry's cost of sales throughout.

74. It is noted that the domestic industry was prevented from increasing its prices to a degree commensurate with the increase in its costs, and that the dumped imports have had a significant price suppressing effect.

Economic parameters of the domestic industry

75. Annexure II to the Anti-Dumping Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

76. The information on capacity, production, capacity utilization and domestic sales is given below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Capacity	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100
2	Production (PUC)	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	105	86	114
3	Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	105	86	114
4	Domestic Sales	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	121	118	163
5	Demand	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	149	224	139

77. It is seen that:

- The installed capacity of the domestic industry remained constant at *** pieces throughout the injury period.
- Production of the subject goods increased from *** pieces in the base year to *** pieces in the POI.
- Capacity utilisation, which stood at ***% in the base year, improved to ***% in the POI.
- Domestic sales increased substantially, from *** pieces in the base year to *** pieces in the POI.

78. The Authority notes that these improvements are material favourable indicators and demonstrate that the domestic industry was able to participate in the growth of demand during the POI. It is also noted that the domestic industry continued to operate with substantial unutilised capacity. Against installed capacity of ***

pieces, production in the POI was ***pieces, leaving approximately ***pieces unutilised, at a time when imports from the subject country stood at 91,26,189 pieces.

Market share

79. The market share of the domestic industry, the other Indian producer, the subject country and other countries in Indian demand is given below:

SN	Market share of	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	81	53	117
2	Other Indian producer	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	471	149	283
3	Subject country	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	67	95
4	Other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	30	394	16

80. It is seen that the market share of the domestic industry improved from ***% in the base year to ***% in the POI, while the market share of the subject country stood at ***% in the POI as against ***% in the base year.
81. The Authority notes that the domestic industry's production, sales and market share improved during the POI. However, China PR continued to account for more than half of Indian demand, and the domestic industry did not achieve a corresponding improvement in prices or profitability. The Authority therefore considers that improvement in volume indicators alone does not rule out material injury, particularly where dumped imports continue to exert significant price pressure.

Inventories

82. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Opening Inventory	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	90	101	94
2	Closing Inventory	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	112	104	113
3	Average Inventory	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	101	103	103

83. It is seen that the average inventory of the domestic industry increased only marginally over the injury period, from ***pieces in the base year to ***pieces in the POI. The Authority notes that the domestic industry produces the subject goods under both make-to-order and make-to-stock strategies and maintains a minimal finished goods inventory for repeat orders.

Profitability, cash profits and return on investment

84. The performance of the domestic industry with respect to profitability, cash profits, PBIT and return on capital employed is given below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Profit/(loss) before tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	(147)	(773)	(453)
2	Profit/(loss) before interest and tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	(12)	(322)	(133)
3	Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	(18)	(342)	(154)
4	Return on Capital Employed (ROCE)	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	(10)	(338)	(110)

85. It is seen that:

- i. The domestic industry earned a profit of Rs. *** lacs in the base year and thereafter incurred losses in each of the succeeding years, the loss standing at Rs. *** lacs in the POI.
- ii. The domestic industry earned a cash profit of Rs. *** lacs in the base year and incurred cash losses in each of the succeeding years, the cash loss standing at Rs. *** lacs in the POI.
- iii. Profit before interest and tax was positive only in the base year and negative in each of the remaining three periods.
- iv. Return on capital employed was ***% in the base year and turned negative thereafter, standing at (***%) in the POI.

86. The Authority notes that the domestic industry became loss-making, cash-negative and earning a negative return on capital employed in POI as compared to the base year. The Authority has also considered the submission of the interested parties that the losses do not correlate one-to-one with import volumes. The Authority notes that the injury in this case mainly arises from the low prices of dumped imports, which prevented the domestic industry from fully recovering its costs.

Employment, wages and productivity

87. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Employees	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	128	134	131
2	Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	141	219	213
3	Wages/employee	Rs./Employee	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	111	164	162
4	Productivity per employee	Pcs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	82	64	87

88. It is seen that the number of employees rose from 143 in the base year to 188 in the POI and that salaries and wages increased from Rs. *** lacs to Rs. *** lacs. Productivity per employee declined to indexed 64 in 2023-24 and recovered to indexed 87 in the POI, remaining below the base year. The domestic industry has stated that several factors are involved in the movement of these parameters and has not claimed them as factors of injury.

Growth

89. The table below shows the growth of the domestic industry in terms of various parameters:

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	POI
1	Production	%	5.48%	(18.36%)	32.48%
2	Domestic sales	%	21.05%	(2.66%)	38.18%
3	Profit Before Tax	%	(246.70%)	(426.59)%	(41.40%)
4	Cash Profit	%	(117.68%)	(1,834.33)%	(54.98%)
5	ROCE	%	(110.17%)	(3,225.54)%	(67.43%)
6	Inventory	%	0.69%	2.07%	0.62%
7	Market Share	%	(18.65%)	(35.34%)	123.23%

90. It is seen that growth in the volume parameters was positive in the POI, production having grown by 32.48% and domestic sales by 38.18%, while growth in the price-related and financial parameters was negative. The injury picture is accordingly mixed on the volume indicators and materially adverse on the price and financial indicators.

Ability to raise capital investment and magnitude of the dumping margin

91. The Authority notes that the domestic industry has been unable to utilise a substantial part of its installed capacity throughout the injury period and has sustained continued losses and a negative return on capital employed, which has adversely affected its ability to raise capital investment. The Authority further notes that the dumping margin determined in respect of the non-cooperative producers/exporters, who account for approximately 93% of the imports from the subject country during the POI, is positive and significant.

Conclusion on material injury

92. Having regard to the foregoing, the Authority notes that:
- i. Imports from the subject country increased in absolute terms from 68,99,618 pieces in the base year to 91,26,189 pieces in the POI as compared to the base year, and increased in relation to Indian production from ****% to ****% in the same period, and their share in Indian demand was marginally lower than in the base year.
 - ii. The domestic industry improved its production, domestic sales, capacity utilisation and market share in the POI. These favourable indicators are expressly recognised.
 - iii. Notwithstanding that improvement, the domestic industry continued to hold approximately *** pieces of unutilised capacity while imports from the subject country stood at 91,26,189 pieces.
 - iv. The landed value of the subject imports declined by 23% over the injury period while the cost of sales of the domestic industry rose by ****%, and price undercutting was in the range of 30-40% during the POI.
 - v. The selling price of the domestic industry remained below its cost of sales in each of the three years following the base year, establishing significant price suppression.
 - vi. The domestic industry remained loss-making and cash-negative with a negative return on capital employed throughout the period following the base year, including in the POI.
93. The Authority accordingly holds that the domestic industry has suffered material injury within the meaning of Rule 11 read with Annexure II to the Rules, such injury being manifested principally in adverse price effects and in the financial performance of the domestic industry, notwithstanding the improvement recorded in certain volume indicators during the period of investigation.

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

94. Paragraph (v) of Annexure II to the Rules requires the Authority to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by such other factors is not attributed to the dumped imports. The Authority has examined the following known factors.

Volume and prices of imports from third countries

95. Imports from countries other than China PR accounted for only 1.61% of Indian demand in the POI and their average CIF price was materially higher than that of the imports from China PR. The exceptional volume recorded against Taiwan in 2023-24 has been separately noted above and does not affect the position in the POI. Imports from third countries therefore cannot explain the price undercutting or the price suppression observed in the POI, and no injury is attributable to them.

Contraction in demand or change in the pattern of consumption

96. Indian demand increased from *** pieces in the base year to *** pieces in the POI, an increase of approximately ****%. There was no contraction in demand over the injury period capable of explaining the injury, and no material change in the pattern of consumption has been established.

Demand and sourcing decisions of AT&S

97. The Authority notes that AT&S is the largest importer of the subject goods and that the decline in its PCB production contributed to the fall in imports during the POI. However, this explains only the reduction in import volume and not the adverse price effects. The landed value of subject imports declined by 23%, price undercutting increased to 30–40%, and the domestic industry was unable to recover the 17% increase in its cost of sales. Accordingly, the decline in imports due to AT&S does not explain the price and financial injury suffered by the domestic industry.

Employee cost and net fixed assets

98. The Authority notes that wages per employee and net fixed assets increased during the injury period. These increases have not been attributed to dumped imports. However, they do not explain the 23% decline in the landed value of subject imports or the increase in price undercutting. Further, while determining the non-

injurious price under Annexure III, the Authority has considered only the admissible and optimised costs of the domestic industry and has disallowed part of the costs claimed.

Export performance

99. The Authority has based its injury analysis exclusively on the domestic operations of the domestic industry. Export sales and export profitability have been segregated and do not form part of the injury assessment for the domestic market. Export performance is, therefore, not a factor that can explain the injury suffered in the domestic market.

Performance of other products

100. The Authority has examined the data relating to the subject goods only. As recorded in above, the cost, sales and profitability data relied upon for the injury determination have been confined to the product under consideration. The performance of other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of injury in respect of the product under consideration.

Developments in technology and product quality

101. There is no evidence that the technology for the production of the subject goods has undergone a material change during the injury period, or that the like article produced by the domestic industry has become technologically obsolete or non-substitutable. AT&S has itself acknowledged the domestic product to be a like article and has purchased it domestically during the POI. Product-specific technical distinctions are addressed through the PCN methodology finally notified. The HDI-related submission of AT&S is relevant to its sourcing decisions and to the assessment of public interest, but does not establish that the product under consideration as a whole is technically non-substitutable.

Trade restrictive practices and competition

102. No trade restrictive practice has been alleged or established which could have contributed to the injury suffered by the domestic industry. The domestic and foreign producers compete in the same market and there is no restriction on the movement of the subject goods within India.

Anti-dumping duty on bare printed circuit boards

103. The Authority notes the submission of the domestic industry that the improvement in its volume parameters in the POI is attributable to the anti-dumping duty imposed on bare printed circuit boards of up to six layers vide Notification No. 03/2024-Customs (ADD) dated 14th March 2024, which increased domestic PCB production and consequently the demand for PCB tools. The Authority accepts that this measure is a relevant external factor bearing upon the improvement in the domestic industry's volume performance. It operates, however, in favour of the domestic industry rather than against it, and its effect is to explain why certain volume indicators improved notwithstanding the continuance of dumped imports. It does not detract from the finding of adverse price effects.

Factors affecting causal link:

- i. The volume of imports from the subject country increased in absolute terms and relative to production in India, and the subject country accounted for a majority share of Indian demand in the POI.
 - ii. The landed value of subject imports declined by 23% over the injury period and is substantially below the selling price and the cost of sales of the domestic industry, resulting in significant and widening price undercutting.
 - iii. The dumped imports have suppressed domestic prices, preventing the domestic industry from increasing its prices to recover a ***% increase in its cost of sales.
 - iv. The domestic industry is incurring financial losses, cash losses and a negative return on capital employed in every period following the base year, including the POI.
 - v. The domestic industry has retained approximately *** pieces of unutilised capacity in the POI while subject imports stood at 91,26,189 pieces.
 - vi. No other known factor breaks the causal link between the dumped imports and the material injury suffered by the domestic industry.
104. For the reasons set out above, the Authority considers that the non-attribution arguments raised by the interested parties, whether based on the movement of imports with demand, the improvement in volume parameters, the absence of a one-to-one correlation between losses and import volumes or prices, the increase in employee cost and net fixed assets, or the sourcing decisions of AT&S, do not individually or collectively explain the material injury found in the domestic market. The verified record shows a simultaneous and mutually reinforcing pattern of dumped imports retaining a dominant market share, significant and widening

price undercutting, price suppression, financial losses and negative returns. The Authority therefore holds that the injury suffered by the domestic industry is attributable to the dumped imports from the subject country.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

105. The Authority has determined the Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities by the domestic industry over the injury period has been considered, along with the best utilisation of production capacity. A reasonable return @ 22% on average capital employed was allowed towards interest, tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.
106. The injury margin for the producers/exporters from the subject country so determined by the Authority is provided in the table below:

SN	Producers	Volume of exports (Pcs)	NIP (USD/Pc)	Landed Value (USD/Pc)	Injury Margin (USD/Pc)	Injury Margin (%)	Range (%)
1	Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd.	***	***	***	***	***	(20-30)
2	Any other producer/exporter	***	***	***	***	***	10-20

107. It is noted that the injury margin is negative for Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. and for the non-cooperative producers/exporters it is positive and significant.
108. Applying the lesser-duty rule, the Authority has adopted the lower of the dumping margin and injury margin determined for each producer/exporter. The corresponding ad-valorem duty has been calculated separately as a percentage of the relevant CIF value.

K. IMPACT ASSESSMENT

Public interest and Domestic Industry Interest

K.1 Submissions made by the other interested parties

109. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to public interest and the interest of the Indian user industry:
- AT&S India Private Limited (“AT&S”)** has submitted that PCB drills and routers are essential consumable inputs in PCB manufacturing and cannot be readily substituted. Selection of such tools depends upon customer-specific and product-specific requirements relating to dimensions, accuracy, reliability and quality, particularly for high-density interconnect (“HDI”) and other high-end PCBs. Any increase in the cost of such tools would therefore increase the cost of PCB manufacturing.
 - AT&S and Kemmer have submitted that imports are required to supplement domestic supplies and that the domestic industry is not capable of meeting the entirety of Indian demand. AT&S has further submitted that it sources the PUC both domestically and through imports, and that source-switching cannot necessarily be undertaken immediately because of technical qualification and customer requirements.
 - AT&S has submitted that a substantial part of its PCB production is exported and that an increase in the cost of PCB tools may therefore affect its competitiveness both in the domestic and export markets.
 - Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. has submitted that public interest also requires appropriate producer-specific treatment and that a cooperating producer whose own dumping and injury margins are not positive should not be subjected to the residual duty applicable to non-cooperating producers.

K.2 Submissions made by the domestic industry

110. The following submissions have been made by the domestic industry:
- The domestic industry has submitted that anti-dumping duty is a corrective trade-remedial measure and does not prohibit or quantitatively restrict imports. PCB drills and routers are consumable manufacturing tools and their cost incidence should be assessed with reference to their share in the total cost of PCB production rather than by reference to the increase in the price of the tool alone.

- ii. The domestic industry has further submitted that the applicant has substantial unutilised capacity and another Indian producer is present in the market. According to the domestic industry, restoration of fair pricing conditions would improve utilisation of Indian capacity, support domestic precision-tool manufacturing and reduce long-term dependence upon dumped imports without preventing users from continuing to import the subject goods.

K.3 Examination by the Authority

111. The Authority has examined the likely impact of the anti-dumping duty on users of the product under consideration, particularly on the basis of the quantified information furnished by AT&S. PCB drills and routers are consumable tools used in PCB manufacturing and their cost forms part of the cost of PCB production.
112. During the POI, AT&S consumed 63,41,692 pieces of the PUC at a cost of ₹172.57 million, while its total PCB-production cost was ₹4,359.67 million. Thus, the PUC accounted for approximately 3.96% of the total PCB-production cost.
113. For the non-cooperative producers/exporters, the lesser duty is recommended at 18% of the CIF value. At the POI average CIF price of approximately ₹28.21 per piece, this corresponds illustratively to about ₹5.08 per piece. If this incidence is applied, purely for assessing an upper-side impact, to the entire quantity of 63,41,692 pieces consumed by AT&S during the POI, the additional cost would be approximately ₹32.20 million.

Particulars	Quantity / Value	Illustrative impact of residual duty @ 18% of CIF
Consumption of the PUC	63,41,692 pieces / ₹172.57 million	Additional duty ≈ ₹32.20 million
Average PUC cost	≈ ₹27.21/piece	At average POI CIF ≈ ₹28.21/piece, duty incidence ≈ ₹5.08/piece
PUC cost after duty	₹172.57 million	≈ ₹204.77 million
Total cost of PCB production	₹4,359.67 million	Additional cost ≈ ₹32.20 million
Increase in total PCB-production cost	—	≈ 0.74%
Total PCB-production cost after duty	—	≈ ₹4391.87 million
PUC share of PCB-production cost after duty	Existing: 3.96%	≈ 4.66%

114. The above 0.74% represents an upper-side impact, since it assumes that every PCB tool consumed by AT&S is imported from a producer attracting the residual rate and that the entire duty is borne by the user. In practice, domestic purchases would not attract anti-dumping duty. Further, Kemmer has a negative dumping and injury margin and its qualifying exports would attract a NIL rate.
115. The Authority also notes that the Indian market continues to depend significantly upon imports from China PR. At the same time, the applicant had approximately 44.84 lakh pieces of unutilised capacity during the POI and another Indian producer is also present in the market. Imposition of anti-dumping duty would also not prohibit imports.
116. The Authority has taken note of the technical and qualification requirements raised by AT&S. However, AT&S has itself purchased the subject goods from Indian sources, and no specific PCN or specification has been established on record as being generally unavailable from domestic producers.
117. Accordingly, while the determined duty would have some cost impact on PCB manufacturers, the quantified upper-side impact of the residual ad-valorem duty is approximately 0.74% of the total PCB-production cost of the participating user. The actual impact may be lower depending upon the sourcing mix, including purchases from domestic producers and from Kemmer at the individual NIL rate. The evidence on record therefore does not indicate that the measure would impose a disproportionate burden on the downstream PCB industry.
118. Accordingly, the Authority considers that public interest is best served by an appropriately calibrated measure which removes the injurious price advantage arising from dumping while preserving legitimate access to imports and recognising the technical requirements of PCB manufacturers. On the evidence presently available, such a measure would support **fair competition, domestic precision-tool manufacturing**

and greater supply resilience without imposing a disproportionate burden upon the downstream PCB industry, and would therefore not be contrary to public interest.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS

L.1 COMMENTS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

Kemmer: cooperation, individual determination, negative margins and NIL duty

119. Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. has submitted that it is the only cooperating producer/exporter from China PR and that its individual net export price, landed value, dumping margin and injury margin should be confirmed on the basis of the information furnished in its exporter questionnaire response and supplementary response. Kemmer has requested confirmation of the negative dumping margin and negative injury margin disclosed by the Authority, the PCN-wise net export price and landed value determined for its own-produced exports, and a NIL rate of anti-dumping duty. AT&S has supported confirmation of the negative margins determined for Kemmer and has submitted that a cooperating producer whose own margins are not positive should not be subjected to the residual duty applicable to non-cooperating producers.
120. Kemmer has further submitted that, if any of the essential confidential calculations concerning its individual determination are changed, a revised disclosure should precede the final findings. It has also requested that its name be correctly reflected as “Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd.” in the final findings and the duty table.

Material injury and improvement in the domestic industry’s volume parameters

121. AT&S has submitted that the domestic industry’s production, domestic sales, capacity utilisation and market share improved during the POI and that the number of employees, wages and wages per employee also increased over the injury period. According to AT&S, these favourable indicators are material to the assessment under Annexure II and support the conclusion that the domestic industry is not suffering material injury merely because an injury margin is positive for the residual category.

Demand-supply gap, technical requirements and public interest

122. AT&S has submitted that imports remain necessary to bridge the gap between Indian demand and domestic supply, particularly because the PUC is an input used in PCB production, only two Indian producers are present, and users have customer-specific quality and technical requirements. AT&S has also submitted that a substantial part of its PCB production is exported and that imposition of anti-dumping duty on necessary imports may affect its export competitiveness. It has therefore requested that the final determination should take account of availability, source-switching constraints and downstream public interest.

L.2 COMMENTS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

Request to confirm the findings disclosed by the Authority

123. The domestic industry has requested confirmation of the findings concerning the scope of the product under consideration and like article, the scope and standing of the domestic industry, confidentiality, miscellaneous issues, injury and causal link, non-attribution and the impact assessment, subject to the specific post-disclosure issues raised by it.

Basic Customs Duty exemption available for imports used in PCB manufacture

124. The domestic industry has submitted that Serial No. 125 of Customs Notification No. 25/99-Customs covers, inter alia, solid carbide drills and routers when imported for use in the manufacture of printed circuit boards and provides a NIL rate of Basic Customs Duty subject to fulfilment of the prescribed conditions. It has therefore requested re-examination of the landed value wherever the exemption is applicable, contending that a lower landed value may affect price undercutting and the injury margin.

Segregation of Kemmer’s own-produced exports and traded exports

125. The domestic industry has challenged the segregation between goods manufactured by Kemmer and goods stated to have been procured from an unrelated Chinese producer and traded by Kemmer. It has relied on product descriptions and coding appearing in Kemmer’s product brochure and on its transaction-wise analysis to contend that the import descriptions correspond to Kemmer’s commercial coding system. It has also stated that six PCNs appear in the import data whereas the individual determination disclosed for Kemmer covers three PCNs. On this basis, the domestic industry has requested re-examination of the producer identity, traceability and PCN mapping of the export transactions and has disputed the negative dumping and injury margins determined for Kemmer.

Form of anti-dumping duty

126. The domestic industry has requested that, if duty is recommended, it should be expressed on an ad-valorem basis rather than as a fixed amount per piece. It has submitted that PCB drills and routers comprise multiple

PCNs with material differences in specifications, costs and prices and that an ad-valorem measure would avoid a disproportionate incidence on lower-priced products and an inadequate incidence on higher-priced products.

Producer identification and prevention of misuse of the individual NIL rate

127. The domestic industry has submitted that, if Kemmer receives a NIL individual rate while other producers/exporters are subject to the residual duty, the individual rate should be protected against misuse through routing of goods produced by non-participating producers. It has requested a producer-identification requirement for each shipment, including a declaration identifying the actual producer of the goods, so that Customs can apply the correct producer-specific rate.

L.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

Findings not specifically modified by the post-disclosure examination

128. The Authority has considered the post-disclosure comments filed by the domestic industry, Kemmer and AT&S together with the information already on record. Except to the extent specifically examined below, the Authority confirms the determinations recorded above concerning the scope of the PUC and like article, domestic industry and standing, confidentiality, the treatment of non-cooperating parties, material injury, causal link and public interest. The post-disclosure comments do not disclose any basis for reopening those determinations beyond the specific issues addressed hereafter.

Basic Customs Duty exemption and landed value

129. The Authority notes that Serial No. 125 of Notification No. 25/99-Customs includes solid carbide drills and routers used in the manufacture of printed circuit boards. However, the entry covers goods falling under specified tariff chapters, which do not include Chapter 82, under which the PUC is classified in the present investigation. Further, the exemption is subject to prescribed end-use and procedural conditions. Therefore, the mere mention of drills and routers in the notification does not establish that all imports of the PUC are eligible for Nil BCD.
130. The interested parties have not established, through transaction-wise import records, that the subject imports considered in the injury analysis were eligible for and actually cleared under the said exemption. Accordingly, the Authority does not consider it appropriate to apply Nil BCD to the entire import volume merely on the basis of the notification. The landed-value determination has therefore not been altered on this ground. This does not affect the customs treatment of any individual consignment that satisfies the applicable legal requirements.

Kemmer's cooperation, producer-wise segregation and individual margins

131. The Authority confirms that Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. is a cooperating producer/exporter. Its exporter questionnaire response and supplementary information have been examined for the purpose of its individual determination. Consistent with the producer-specific nature of an individual rate, only the *** pieces identified on the investigation record as having been manufactured by Kemmer and exported to India have been included in Kemmer's individual export-price and landed-value determination. Goods manufactured by another producer and merely exported or traded by Kemmer do not obtain the benefit of Kemmer's individual rate and fall within the residual category.
132. The Authority has examined the domestic industry's submission regarding Kemmer's product codes and descriptions. A matching product code or description does not, by itself, prove that the goods were manufactured by Kemmer. The manufacturer has been identified on the basis of the questionnaire response and transaction records. The post-disclosure submissions do not provide sufficient evidence to change the treatment already adopted by the Authority.
133. The Authority therefore confirms the individual determination for Kemmer on the three PCNs forming part of its own-produced exports, namely PCDBUC, PCDCUC and PCDDUC. The weighted average net export price and landed value remain as determined above. The dumping margin and the injury margin for Kemmer remains negative. No anti-dumping duty is therefore recommended on qualifying exports of the subject goods manufactured by Kemmer. Since the final determination does not introduce a materially different adverse factual basis or methodology for Kemmer, the request for a further disclosure is not accepted.
134. The Authority also notes Kemmer's reliance on Rule 14. Since the individual dumping margin determined for Kemmer is negative, no duty is recommended for its qualifying exports. The country-wide investigation, however, also covers other producers/exporters for whom the dumping and injury margins are positive; the determination in respect of those producers/exporters is therefore dealt with separately in the duty recommendation below.

Material injury notwithstanding favourable volume indicators

135. The Authority has expressly taken account of the improvement in production, domestic sales, capacity utilisation, market share, employment and wages. These are favourable indicators and have not been disregarded. Annexure II, however, requires an evaluation of the totality of relevant economic factors and does not make deterioration in every indicator a condition for a finding of material injury.
136. In the POI, the domestic industry continued to face significant adverse price and financial effects. The landed value of subject imports remained substantially below the domestic selling price; price undercutting was positive and significant; the cost of sales was about 17% above the base-year level while the selling price was only about 1% higher; and the domestic industry remained loss-making, cash-negative and earned a negative return on capital employed. The favourable volume indicators therefore do not outweigh the established adverse price effects and financial injury. The Authority accordingly confirms the finding of material injury recorded above.

Demand-supply gap, technical requirements and public interest

137. The Authority reiterates that a demand-supply gap does not, by itself, negate dumping, injury or causal link and that anti-dumping duty does not prohibit imports. The record shows that the applicant retained approximately *** lakh pieces of unutilised capacity in the POI and that another Indian producer is present. The Authority has also considered AT&S's technical qualification and sourcing concerns; however, no defined PCN or specification has been established on record as being generally unavailable from Indian producers, and AT&S itself purchased the PUC from Indian sources during the POI.
138. The form and level of the measure have also been considered from the perspective of downstream users. At the residual ad-valorem rate of 17% of CIF, the upper-side mechanical impact on AT&S, if its entire POI consumption were assumed to attract the residual rate at the POI average CIF price, is approximately ₹32.20 million, equivalent to about 0.74% of its total PCB-production cost. This is a conservative illustration because domestic purchases and qualifying imports from Kemmer at the NIL rate would not bear the residual incidence. The Authority therefore confirms that the appropriately calibrated measure is not shown to impose a disproportionate burden on the downstream PCB industry or to be contrary to public interest.

Ad-valorem form of duty

139. The Authority accepts the domestic industry's request regarding the form of the measure. The PUC comprises PCB drills and PCB routers across multiple PCNs with material differences in specifications and price levels. In these circumstances, expressing the duty as a percentage of the CIF value maintains a more proportionate incidence across lower- and higher-priced variants than a uniform fixed amount per piece. The definitive duty is therefore recommended on an ad-valorem basis, subject to the lesser-duty rule.

Producer-identification safeguard and correct name of Kemmer

140. The Authority considers the concern regarding misuse of the individual NIL rate to be relevant because that rate is producer-specific. A separate Certificate of Origin requirement need not be created in these findings, since origin documentation is governed by the applicable customs law. However, the benefit of the individual NIL rate shall be conditional upon presentation of a valid commercial invoice identifying the actual producer and containing the producer declaration specified below the duty table. Where such declaration is not presented, or where the goods are produced by a producer other than Kemmer, the residual duty shall apply.
141. The Authority further records the correct name of the cooperating producer/exporter as "Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd." and the same has been used in the duty table.

M. CONCLUSION

142. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available on record, and on the basis of the analysis recorded above, the Authority concludes as follows:
- The product under consideration is "Printed Circuit Board Tools", namely PCB drills and PCB routers with the scope and PCN methodology determined above, originating in or exported from China PR.
 - Ind-Sphinx Precision Limited constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the standing requirements under Rule 5(3).
 - Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. is the only cooperating producer/exporter from China PR whose individual response has been accepted for determination. Its dumping margin and injury margin is negative. Accordingly, no anti-dumping duty is warranted on qualifying exports of the subject goods manufactured by Kemmer.
 - For all other producers/exporters from China PR, the dumping margins and injury margins determined on facts available are positive and significant. In accordance with the lesser-duty rule, the injury margin is lower and forms the basis of the residual duty recommendation.

- v. The domestic industry recorded improvement in certain volume indicators during the POI, including production, sales, capacity utilisation and market share. At the same time, subject imports remained substantial, price undercutting was positive and significant, the landed value of imports declined materially over the injury period, domestic prices were suppressed, and the domestic industry remained loss-making, cash-negative and earned a negative return on capital employed.
- vi. The Authority has examined the known other factors, including demand growth, importer's sourcing decisions, employee costs, net fixed assets, export performance, other products, technology and imports from third countries. These factors do not explain the adverse price effects and financial injury established on the record. The Authority therefore concludes that the domestic industry has suffered material injury caused by dumped imports from the subject country.
- vii. The evidence on record does not establish that the recommended measure would create scarcity or impose a disproportionate burden on downstream users. Imports would remain available subject to the ADD so recommended, and the upper-side quantified impact on the participating user at the residual rate is approximately 0.74% of PCB-production cost. The Authority therefore concludes that imposition of an appropriately calibrated anti-dumping duty is not contrary to public interest.

N. RECOMMENDATIONS

143. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was provided to the domestic industry, producers/exporters, importers, users and other interested parties to furnish information and make submissions on dumping, injury, causal link and public interest. The Authority has also considered the post-disclosure comments filed by the parties.
144. Having concluded that the subject goods exported by producers/exporters other than Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd. are dumped and are causing material injury to the domestic industry, the Authority considers it necessary to recommend definitive anti-dumping duty equal to the lower of the dumping margin and the injury margin. The duty is recommended on an ad-valorem basis in view of the material variation in specifications and prices across the PCNs comprising the PUC.
145. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR at the rates specified in the duty table below. The duty shall take effect from the date of notification to be issued by the Central Government and shall remain in force for a period of five years, unless revoked, superseded or amended earlier in accordance with law.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description of Goods*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty as % of CIF
1	2	3	4	5	6	7
1	82075000, 82077090 and 82079090	Printed Circuit Board Tools	China PR	Any country including China PR	Kemmer Prazision Tool (Shanghai) Co., Ltd.	NIL
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than at S. No. 1	17%
3	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	17%

**The PUC is limited to PCB drill and PCB router with a shank diameter of standardized size of 3.175 mm*

Note - The application of the individual duty rates specified for the company mentioned above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct." If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification

procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

O. FURTHER PROCEDURE

146. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority